

## विषयवस्तु

1. परिचय .....	3
2. धोखाधड़ियों का वर्गीकरण .....	3
3. भारतीय रिज़र्व बैंक को धोखाधड़ी की सूचना देना .....	4-7
4. तिमाही विवरणियां .....	8
4.1 धोखाधड़ी के लंबित मामलों से संबंधित रिपोर्ट - एफएमआर 2.....	8
4.2 धोखाधड़ी पर प्रगति रिपोर्ट - एफएमआर 3.....	8
5. धोखाधड़ियों की रिपोर्टिंग में विलंब .....	8
6. बोर्ड को प्रस्तुत रिपोर्टें .....	9-12
6.1 बोर्ड को प्रस्तुत रिपोर्टें .....	9
6.2 धोखाधड़ियों की तिमाही समीक्षा .....	9
6.3 धोखाधड़ियों की वार्षिक समीक्षा.....	9
6.4 बोर्ड की विशेष समिति .....	11
7. धोखाधड़ियों की कोशिश के मामले .....	12
8. धोखाधड़ी के मामलों को बंद करना .....	13-14
9. पुलिस/सीबीआई को धोखाधड़ी की सूचना देने हेतु दिशानिर्देश .....	14-15
10. चेक से संबंधित धोखाधड़ियां, एहतियाती उपाय तथा रिज़र्व बैंक एवं पुलिस को रिपोर्ट करना .....	16-17
11. ऋण धोखाधड़ियां - नया फ्रेमवर्क .....	18-29

11.1 ऋण धोखाधड़ियां - नया फ्रेमवर्क .....	18
11.2 फ्रेमवर्क का उद्देश्य .....	18
11.3 पूर्व चेतावनी संकेत (EWS) और रेड फ्लैग्ड खाते (RFA).....	18-20
11.4 जल्द पता लगाना और रिपोर्टिंग .....	20-22
11.5 स्टाफ को अधिकार देना .....	22
11.6 लेखा परीक्षकों की भूमिका.....	22
11.7 तत्पर रिपोर्टिंग के लिए प्रोत्साहन .....	22
11.8 बैंक अकेले उधार देनेवाले के रूप में .....	23
11.9 कंसोर्शियम अथवा मल्टीपल बैंकिंग के तहत उधार देना.....	24-26
11.10 स्टाफ जवाबदेही .....	26
11.11 कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास शिकायत दर्ज करना .....	27
11.12 कपटी उधारकर्ताओं के लिए दंडात्मक उपाय .....	28-29
12. चोरी, सेंधमारी, डकैती एवं बैंक लूटने के मामलों की रिपोर्टिंग .....	29-30
अनुबंध I .....	31-33
अनुबंध II .....	34-36
अनुबंध III - धोखाधड़ी निगरानी विवरणियां.....	37-56
एफएमआर 1: बैंकों में वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी पर रिपोर्ट .....	37-46
एफएमआर 2: धोखाधड़ी के लंबित मामलों पर तिमाही रिपोर्ट .....	47-51
एफएमआर 3: धोखाधड़ी पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट .....	52-55
एफएमआर 4: डकैती/लूटपाट/चोरी/सेंधमारी पर रिपोर्ट .....	56

## 1. परिचय

1.1 बैंकों में धोखाधड़ी, डकैती, लूटमार इत्यादि की घटनाएं चिंता का विषय हैं। जहां धोखाधड़ी को रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी स्वयं बैंकों की है, भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर बैंकों को धोखाधड़ी प्रवण प्रमुख क्षेत्रों तथा उन्हें रोकने के लिए आवश्यक एहतियाती उपायों की जानकारी देता रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक सुकल्पित स्वरूप की ऐसी धोखाधड़ियों के ब्यौरे भी बैंकों को देता रहा है जिसकी सूचना पहले नहीं दी गई है ताकि बैंक उपयुक्त प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रणों द्वारा आवश्यक एहतियाती/निवारक उपाय प्रारंभ कर सकें। बैंकों को बेईमान किस्म के उधारकर्ताओं तथा उनसे संबंधित पार्टियों की जानकारी भी दी जा रही है ताकि उनसे व्यवहार करते समय बैंक सावधानी बरत सकें। इस सतत प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि बैंक धोखाधड़ियों से संबंधित पूरी जानकारी और उनके द्वारा की गई अनुवर्ती कारवाई से रिज़र्व बैंक को अवगत कराएं। अतः, बैंक धोखाधड़ियों के संबंध में सूचना देने के लिए निम्नलिखित पैराग्राफों में निर्दिष्ट की गई सूचना प्रणाली अपनाएं।

1.2 बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CMD/CEOs) "धोखाधड़ी की रोकथाम तथा प्रबंधन कार्य" पर विशेष ध्यान दें ताकि अन्य बातों के साथ-साथ धोखाधड़ी मामलों की प्रभावी जांच तथा उनकी शीघ्र और अचूक रिपोर्टिंग भारतीय रिज़र्व बैंक सहित उचित विनियामक एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों को की जा सके।

1.2.1 धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन, धोखाधड़ी निगरानी तथा धोखाधड़ी जांच कार्य की जिम्मेदारी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति तथा बोर्ड की विशेष समिति की होनी चाहिए।

1.2.2. बैंक, अपने संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया एवं धोखाधड़ी जांच कार्य के लिए आंतरिक नीति तैयार करें जो जवाबदेही और उस कार्य की जिम्मेदारी से संबंधित गवर्नेंस के मानकों पर आधारित हो तथा ये मानक सुपरिभाषित एवं तयशुदा संगठनात्मक व्यवस्था एवं प्रचालन प्रक्रियाओं पर आधारित हो सकते हैं।

1.2.3 बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे नीचे पैरा 3.1 में दिये गए अनुसार उन्हें उपलब्ध कराए गए धोखाधड़ी रिपोर्टिंग एवं निगरानी प्रणाली पर आधारित धोखाधड़ी निगरानी विवरणी और डाटा प्रस्तुत करें। बैंक महाप्रबंधक की श्रेणी के एक अधिकारी को विशेष रूप से नामित करें जो इस परिपत्र में संदर्भित सभी विवरणियों को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

## 2. धोखाधड़ियों का वर्गीकरण

2.1 रिपोर्टिंग में एकरूपता लाने के लिए धोखाधड़ियों को मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

क. दुर्विनियोजन और आपराधिक विश्वास भंग।

- ख. जाली लिखतों, लेखा-बहियों में हेर-फेर अथवा बेनामी खातों के जरिये कपटपूर्ण नकदीकरण और संपत्ति का परिवर्तन ।
- ग. पुरस्कृत करने अथवा अवैध तुष्टीकरण के लिए दी गयी अनधिकृत ऋण सुविधाएं ।
- घ. लापरवाही और नकदी की कमी ।
- ङ. छल और ज़ालसाजी ।
- च. विदेशी मुद्रा लेन-देनों में अनियमितताएं ।
- छ. अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी, जो उक्त किसी विशिष्ट शीर्ष के अंतर्गत शामिल न हो ।

2.2 ऊपर मद (घ और च) में उल्लिखित 'लापरवाही और नकदी की कमी' तथा 'विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देनों में अनियमितताओं' के मामलों को तभी धोखाधड़ी के रूप में तभी सूचित किया जाए जब छल करने/धोखा देने के इरादों का संदेह हो/इरादा साबित हो गया हो। तथापि, निम्नलिखित मामले, जिनमें पता चलने के समय धोखाधड़ी के इरादों का संदेह न हो/प्रमाणित न हो, धोखाधड़ी माने जाएंगे तथा तदनुसार रिपोर्ट किए जाएंगे :

(क) 10,000/- रुपये तथा उससे अधिक के नकदी की कमी के मामले, (एटीएम सहित) तथा

(ख) 5,000/- रुपये से अधिक के नकदी की कमी के मामले यदि वे प्रबंधन/लेखा-परीक्षक/निरीक्षण अधिकारी द्वारा पाए गए हों तथा नकदी का कार्य देख रहे व्यक्तियों द्वारा घटित होने वाले दिन उनकी सूचना न दी गई हो ।

### 3. भारतीय रिज़र्व बैंक को धोखाधड़ी की सूचना देना

3.1 बैंकों को रु. 0.1 मिलियन से कम की राशि के धोखाधड़ी के मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक को न तो हार्ड कॉपी में और न ही सॉफ्ट कॉपी में एफएमआर-1 विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। तथापि, ऐसे मामलों में बैंकों को अपनी तरफ से एफआरएमएस पैकेज के माध्यम से एफएमआर-1 प्रारूप में (रु. 0.1 मिलियन से कम) अलग से आंकड़ा प्रविष्ट करना चाहिए जो स्वतः एफएमआर-2 विवरणी में अभिग्रहित हो जाएगा और संबंधित बैंक के लिए धोखाधड़ी से संबंधित समेकित डाटाबेस का हिस्सा बन जाएगा। रु. 0.1 मिलियन से अधिक की धोखाधड़ी के मामलों में निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाए-

विवरणी का नाम	धोखाधड़ी में शामिल राशि	सूचित किया जाने का माध्यम	किसे सूचित किया जाए	रिपोर्टिंग की समय सीमा	टिप्पणी
एफएमआर 1 वास्तविक और संदेहास्पद धोखाधड़ी पर रिपोर्ट विवरणी का प्रारूप अनुबंध III में दिया गया है	0.1 मिलियन रुपए और उससे अधिक राशि की धोखाधड़ी वाले मामले	सॉफ्ट प्रति	केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, बेंगलुरु	पता चलने के तीन सप्ताह के भीतर	
-वही -	0.1 मिलियन रुपए और उससे अधिक - 5 मिलियन रुपए	हार्ड प्रति	1. भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ), बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को जिसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वह शाखा स्थित है जहां धोखाधड़ी हुई है। 2. क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग/ एसबीएमडी को जिसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है जहां धोखाधड़ी हुई है या बैंक के एसएसएम को	-वही -	वरिष्ठ पर्यवेक्षणीय प्रबन्धक (एसएसएम) तथा छोटे बैंक निगरानी प्रभाग (एसबीएमडी) के पर्यवेक्षणीय दायरे के अंतर्गत आने वाले बैंकों की सूची अनुबंध I में दी गई है।
- वही -	5 मिलियन रुपए और उससे अधिक	हार्ड प्रति	1.केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, बेंगलुरु 2.आरबीआई,	-वही -	- वही -

	राशि की धोखाधड़ी वाले मामले		(डीबीएस) के क्षेत्रीय कार्यालय को जिसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बैंक का प्रधान कार्यालय आता है अथवा बैंक के एसएसएम को		
फ्लैश रिपोर्ट (एफएमआर 1 के अलावा)	10 मिलियन रुपए और उससे अधिक की धोखाधड़ी के लिए	हार्ड प्रति	1. प्रधान मुख्य महा प्रबन्धक/प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को संबोधित एक अर्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से 2. प्रति आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय को जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक की वह शाखा कार्य कर रही है जहां धोखाधड़ी की गई है तथा आरबीआई, (डीबीएस) के क्षेत्रीय कार्यालय को जिसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बैंक का प्रधान कार्यालय आता है अथवा बैंक के एसएसएम को	ऐसी धोखाधड़ी के बैंक के प्रधान कार्यालय के ध्यान में आने के एक सप्ताह के भीतर	धोखाधड़ी में शामिल राशि, धोखाधड़ी का स्वरूप, उसकी संक्षिप्त कार्यप्रणाली, शाखा/कार्यालय का नाम, इसमें शामिल पार्टियों के नाम, उनका गठन, मालिकों/भागीदारों तथा निदेशकों के नाम तथा शामिल अधिकारियों के नाम तथा पुलिस/सीबीआई में शिकायत दर्ज करने जैसी जानकारी शामिल की जानी चाहिए
एफएमआर 2 विवरणी का प्रारूप अनुबंध III में दिया गया है	धोखाधड़ी के लंबित मामलों पर तिमाही रिपोर्ट	केवल सॉफ्ट प्रति	केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, बेंगलुरु	संबंधित तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर	यदि धोखाधड़ी का कोई मामला लंबित नहीं है तो 'कुछ नहीं' रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
एफएमआर 3	0.1 मिलियन रुपए तथा	केवल सॉफ्ट प्रति	केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष,	संबंधित तिमाही की समाप्ति के	यदि 0.1 मिलियन रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का कोई

विवरणी का प्रारूप अनुबंध III में दिया गया है	उससे अधिक की धोखाधड़ी की मामले - वार तिमाही प्रगति रिपोर्ट		बेंगलुरु	15 दिनों के भीतर	मामला लंबित नहीं है तो 'कुछ नहीं' रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए
--	--	--	----------	------------------	---

**3.2** उधारखातों में हुई धोखाधड़ियों के संबंध में एफएमआर 1 के पार्ट बी में दिये गए अनुसार अतिरिक्त जानकारी भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। बैंकों से प्राप्त एफएमआर 1 विवरणियों की संवीक्षा करते समय यह पाया गया है कि विवरणियों में कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों को खाली छोड़ दिया जाता है। चूंकि निगरानी व पर्यवेक्षी उद्देश्यों तथा सतर्कता सूचनाओं को जारी करने के उद्देश्य से बैंकों में घटित होने वाली धोखाधड़ियों पर पूर्ण विवरण अति महत्वपूर्ण होते हैं, अतः बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्तुत किए गए आंकड़े पूर्ण/सटीक व अद्यतन हों। प्रसंगवश, यदि किसी मद के संबंध में कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया जाना है, अथवा यदि एफएमआर 1 विवरणी की रिपोर्टिंग के समय किसी मद का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है तो बैंक "कोई ब्यौरा सूचित नहीं किया जाना है" अथवा "वर्तमान में ब्यौरे उपलब्ध नहीं है" के रूप में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में, बैंकों को आंकड़ा एकत्र कर उसका ब्यौरा एफएमआर 3 विवरणी के माध्यम से तिमाही आधार पर नियमित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

**3.3** धोखाधड़ी की रिपोर्टें ऐसे मामलों में भी प्रस्तुत की जाएं जहां केन्द्रीय जांच एजेंसियों ने स्वयं ही आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी हो और/अथवा जहां रिज़र्व बैंक ने निदेश दिया हो कि ऐसे मामलों को धोखाधड़ी के रूप में सूचित किया जाए।

**3.4** बैंक अपनी अनुषंगियों, सहायक संस्थाओं/संयुक्त उद्यमों में हुई धोखाधड़ियों की भी सूचना एफएमआर 1 फॉर्मेट में केवल हार्ड कॉपी में दें। तथापि, ऐसी धोखाधड़ियों को बकाया धोखाधड़ियों तथा नीचे पैरा 4 में उल्लिखित तिमाही प्रगति रिपोर्टों में शामिल न किया जाए। ऐसी धोखाधड़ियों को किसी भी चरण में एफआरएमएस पैकेज में दर्ज नहीं किया जाएगा। यदि बैंक की उक्त अनुषंगी/सहायक/संयुक्त उद्यम ऐसी इकाई हो जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित हो और उस अनुषंगी/सहायक/संयुक्त उद्यम पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार उसे धोखाधड़ी के मामलों की सूचना रिज़र्व बैंक को स्वतंत्र रूप से देने के लिए कहा गया हो तो ऐसे मामलों में उसके मूल बैंक को ऐसे अनुषंगी/सहायक/संयुक्त उद्यम में पाए गए धोखाधड़ी के मामलों के संबंध में एफएमआर1 विवरण की हार्ड प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

**3.5** विदेशी शाखाओं /कार्यालयों वाले बैंकों (विदेशी बैंकों से इतर) को चाहिए कि वे ऐसी शाखाओं/कार्यालयों में होने वाली सभी धोखाधड़ियों की सूचना रिज़र्व बैंक को भी दें।

3.6 बेंगलूरु स्थित केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय धोखाधड़ियों इत्यादि की रिपोर्टिंग करने के लिए उत्तरदायी सभी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों की एक निर्देशिका प्रकाशित करेगा। सभी बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे ऐसे अधिकारियों के नामों में कोई भी बदलाव, जो निर्देशिका में शामिल करने हेतु आवश्यक होगा तथा जब और जिस समय मांगा जाए तो उसे प्राथमिकता के आधार पर बेंगलूरु स्थित बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष को प्रस्तुत करें।

## 4. तिमाही विवरणियां

### 4.1 धोखाधड़ी के लंबित मामलों से संबंधित रिपोर्ट - एफएमआर 2

- 4.1.1 भाग बी तथा सी में दर्शाए अनुसार तिमाही के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ियों के मामलों की कुल संख्या तथा राशि रिपोर्ट के भाग-ए के कालम सं.4 तथा 5 के कुल जोड़ से मेल खानी चाहिए।
- 4.1.2 उपर्युक्त रिपोर्ट के भाग के रूप में बैंक इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि तिमाही के दौरान एफएमआर-1 में रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए गए एक लाख रुपए तथा उससे अधिक के धोखाधड़ी के सभी व्यक्तिगत मामले बैंक के बोर्ड के समक्ष रखे गए हैं तथा एफएमआर-2 के भाग ए (कालम 4 तथा 5) एवं भाग बी तथा सी में शामिल किए गए हैं। यदि तिमाही के अंत में धोखाधड़ी का कोई मामला लंबित न हो तो एक “कुछ नहीं” रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

### 4.2 धोखाधड़ियों पर प्रगति रिपोर्ट - एफएमआर 3

- 4.2.1 जिन धोखाधड़ियों के मामले में तिमाही के दौरान कोई प्रगति नहीं हुई हो, ऐसे मामलों की एक सूची शाखा का नाम तथा सूचना देने की तारीख के संक्षिप्त विवरण सहित एफएमआर - 3 के भाग-बी में प्रस्तुत की जाए। यदि 0.1 मिलियन रुपए से अधिक का धोखाधड़ी का कोई मामला लंबित न हो तो एक “कुछ नहीं” रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

## 5. धोखाधड़ियों की रिपोर्टिंग में विलंब

- 5.1 बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सूचना - प्रणाली को उपयुक्त रूप से कारगर बनाया गया है ताकि धोखाधड़ियों से संबंधित सूचना अविलंब दी जा सके। बैंकों को चाहिए कि वे रिज़र्व बैंक को सूचना देने में होने वाली देरी के संबंध में स्टाफ को जवाबदेह बनाएं।



5.2 धोखाधड़ियों से संबंधित सूचना देर से देने और उसके बाद बेईमान उधारकर्ताओं की कार्य-प्रणाली के संबंध में अन्य बैंकों को सतर्क करने और उनके विरुद्ध चेतावनी सूचनाएं जारी करने में देरी होने से इसी प्रकार की धोखाधड़ियां किसी अन्य स्थान पर भी हो सकती हैं। अतः बैंकों को चाहिए कि वे रिज़र्व बैंक को धोखाधड़ियों के मामलों की सूचना देने के लिए इस परिपत्र में निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन करें अन्यथा उनके विरुद्ध बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47 (ए) के अंतर्गत निर्दिष्ट दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

## 6. बोर्ड को प्रस्तुत रिपोर्टें

6.1 बैंक यह सुनिश्चित करें कि रु 1.00. लाख और उससे अधिक की सभी धोखाधड़ियों का पता लगने के तुरंत बाद उनके बोर्डों को सूचित किया जाता है। ऐसी रिपोर्टों में अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित शाखा अधिकारियों तथा नियंत्रक प्राधिकारियों के स्तर पर हुई चूकों का उल्लेख किया जाए तथा धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई प्रारंभ किए जाने के लिए विचार किया जाए।

## 6.2 धोखाधड़ियों की तिमाही समीक्षा

6.2.1 जैसा कि [04 जनवरी 2013 के परिपत्र. बैंपवि.धोनिक.बीसी सं.5/23.04.001/2012-13](#) द्वारा सूचित किया गया था कि जून, सितंबर तथा दिसंबर को समाप्त तिमाहियों के लिए धोखाधड़ियों से संबंधित जानकारी संबंधित तिमाही के अगले माह के दौरान निदेशक *बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति* के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

6.2.2 इनके साथ ऐसी अनुपूरक सामग्री होनी चाहिए, जिसमें सांख्यिकीय सूचना और प्रत्येक धोखाधड़ी के व्यौरों का विश्लेषण किया गया हो ताकि *बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति* के पास धोखाधड़ियों के दंडात्मक अथवा निवारक पहलुओं के संबंध में कारगर रूप से योगदान देने के लिए पर्याप्त सामग्री हो।

6.2.3 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए नीचे पैरा 6.3 पर निर्धारित किए गए अनुसार वार्षिक समीक्षा के मद्देनज़र मार्च को समाप्त तिमाही के लिए अलग से समीक्षा आवश्यक नहीं है।

## 6.3 धोखाधड़ियों की वार्षिक समीक्षा

6.3.1 बैंकों को चाहिए कि वे धोखाधड़ियों की वार्षिक समीक्षा करें तथा निदेशक बोर्ड / स्थानीय परामर्शी बोर्ड के समक्ष जानकारी देने के लिए नोट प्रस्तुत करें। मार्च को समाप्त वर्ष के लिए समीक्षा अगली तिमाही के अंत, अर्थात् 30 जून को समाप्त तिमाही से पहले बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाए। ऐसे समीक्षा नोट भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें रिज़र्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों के सत्यापन के लिए संभालकर रखा जाए।

**6.3.2** ऐसी समीक्षा करते समय ध्यान में रखे जाने वाले प्रमुख पहलुओं में निम्नलिखित मुद्दे शामिल किये जाएं :

- (क) क्या एकबार धोखाधड़ी हो जाने पर कम से कम समय में उस का पता लगाने के लिए बैंक की मौजूदा प्रणाली पर्याप्त है?
- (ख) क्या धोखाधड़ियों की स्टाफ की दृष्टि से जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक है, वहां सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में आगे कार्रवाई के लिए मामले सतर्कता कक्ष को सूचित किये जाते हैं?
- (ग) क्या जहां कहीं उपयुक्त पाया गया वहां जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों को निवारक सजा दी गई?
- (घ) क्या धोखाधड़ियां प्रणालियों और क्रियाविधियों का पालन करने में शिथिलता के कारण हुई और यदि ऐसा हो तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कारगर कार्रवाई की गयी कि संबंधित स्टाफ द्वारा प्रणालियों और क्रियाविधियों का पूरी सावधानी से पालन किया जाता है।
- (ङ) क्या धोखाधड़ियों के बारे में, यथास्थिति, स्थानीय पुलिस या सीबीआई को इस संबंध में भारत सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच-पड़ताल के लिए सूचना दी गई है।

**6.3.3** वार्षिक समीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित ब्यौरों को भी शामिल किया जाए-

- (क) वर्ष के दौरान पता लगायी गई कुल धोखाधड़ियां तथा पिछले दो वर्ष की तुलना में उनमें फंसी हुई राशि।
- (ख) पैरा 2.1 में दी गई विभिन्न श्रेणियों के अनुसार धोखाधड़ियों का विश्लेषण तथा बकाया धोखाधड़ियों पर तिमाही रिपोर्ट में उल्लिखित विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों का भी विश्लेषण (एफएमआर 2 के अनुसार)।
- (ग) वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई मुख्य-मुख्य धोखाधड़ियों की वर्तमान स्थिति सहित उनकी आपराधिक कार्य-प्रणाली।
- (घ) 0.1 मिलियन रुपए और उससे अधिक की धोखाधड़ियों का विस्तृत विश्लेषण।

(ङ) वर्ष के दौरान धोखाधड़ियों के कारण बैंक को हुई अनुमानित हानि, वसूल हुई राशि तथा किए गए प्रावधान।

(च) जहां स्टाफ शामिल है, ऐसे मामलों की संख्या (राशि सहित) एवं उनके खिलाफ की गई कार्रवाई।

(छ) क्षेत्र-वार/ अंचल-वार/राज्य-वार धोखाधड़ियों का विश्लेषण तथा फंसी हुई राशि।

(ज) धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने में लगा समय (धोखाधड़ी होने के तीन महीने, छह महीने, एक वर्ष के भीतर पता लगाये गये मामलों की संख्या)।

(झ) सीबीआई/पुलिस को रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की स्थिति।

(ञ) धोखाधड़ी के ऐसे मामलों की संख्या जिनमें बैंक द्वारा अंतिम कार्रवाई हो गयी है और मामले निपटा दिए गए हैं।

(ट) धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी करने/उन्हें न्यूनतम रखने के लिए बैंक द्वारा वर्ष के दौरान किये गये निवारक/दण्डात्मक उपाय।

**6.3.4** बैंक धोखाधड़ी की कार्य प्रणाली के संबंध में अपनी शाखाओं/नियंत्रक कार्यालयों को सतर्क करने के लिए जारी किए गए परिपत्र की प्रति समय-समय पर होने वाली बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उसके समक्ष प्रस्तुत करें।

## 6.4 बोर्ड की विशेष समिति

6.4.1 यद्यपि बैंकों के बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (ACB) सामान्य रूप से धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी करना जारी रखेगी लेकिन बैंकों से अपेक्षित है कि वे 10 मिलियन रूपए और उससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी के मामलों की पूरी तरह से निगरानी तथा अनुपालन हेतु एक विशिष्ट समिति (SCBF) का गठन करें। इस विशेष समिति में बोर्ड के पांच सदस्य शामिल होंगे जिसमें सरकारी बैंकों के मामले में एमडी एवं सीईओ तथा भारतीय स्टेट बैंक/उसके सहयोगी बैंकों के मामले में एमडी के अलावा एसीबी के दो सदस्य तथा भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती को छोड़कर बोर्ड के अन्य दो सदस्य होने चाहिए। घटित मामलों की संख्या के आधार पर इस विशेष समिति की बैठकों की आवधिकता तय की जा सकती है। इसके अलावा जब कभी भी 10 मिलियन रूपए से अधिक की धोखाधड़ी का मामला सामने आए इस समिति की बैठक का आयोजन कर मामले की समीक्षा की जानी चाहिए।

**6.4.2** 10 मिलियन रूपए और उससे अधिक की धोखाधड़ियों की निगरानी एवं समीक्षा करना इस विशेष समिति का महत्वपूर्ण कार्य होगा ताकि :

- प्रणालीगत कमियों, यदि कोई हो, की पहचान करना जिससे धोखाधड़ी करने में मदद मिली हो और इसे दूर करने के लिए उपाय लागू करना।
- पता लगाने में हुए विलंब के कारणों, यदि कोई हो, की पहचान करना तथा बैंक के उच्च प्रबंधन एवं भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करना।
- सीबीआई/पुलिस जांच में हुई प्रगति एवं वसूली की स्थिति की निगरानी करना।
- धोखाधड़ियों के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ-सदस्यों की जबाबदेही सुनिश्चित करना एवं यदि जरूरी हो, बिना समय गवाएं स्टाफ पर शीघ्र कार्रवाई पूरी करना।
- धोखाधड़ी की घटनाओं की रोकथाम के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा करना जैसे कि आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत करना।

**6.4.3** बैंकों को चाहिए कि वे समिति के निर्देशों को कार्यान्वित करने हेतु नीतिगत दस्तावेज में प्रक्रियाओं का स्पष्ट उल्लेख करें ताकि इन दस्तावेजों की मदद से बैंक में इस प्रयोजन के लिए गठित समर्पित इकाई को निर्देशों को लागू करने में सफलता मिल सके।

**6.4.4** निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों में सतर्कता कार्य को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समान करने हेतु इस मामले में कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों एवं विदेशी बैंकों के वर्तमान सतर्कता कार्यों का परीक्षण वर्तमान दिशानिर्देशों के साथ किया गया तथा यह पाया गया कि बैंकों के मध्य कार्यप्रणालियाँ व्यापक रूप से भिन्न हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों व विदेशी बैंकों हेतु विस्तृत दिशानिर्देश 26 मई 2011 को जारी किए गए ताकि समयोचित तथा उचित कार्रवाई हेतु निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों की कार्यप्रणालियों में कमियां विशेषतः भ्रष्टाचार, कुप्रथाओं, धोखाधड़ियों इत्यादि से उत्पन्न सभी विषयों पर ध्यान दिया जा सके। उक्त विस्तृत दिशानिर्देशों का उद्देश्य आंतरिक सतर्कता के कार्य में एकरूपता तथा युक्ति संगतता लाना है। निजी क्षेत्र के बैंकों (भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों सहित) को सूचित किया गया है कि वे उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार आंतरिक सतर्कता तंत्र की एक प्रणाली लागू करें।

## 7. धोखाधड़ियों की कोशिश के मामले

**7.1** बैंकों को, [दिनांक 15 नवंबर 2012 के परिपत्र सं. बैंपवि.धोनिक.बीसी सं.04/23.04.001/2012 -13](#) के अनुसार 10 मिलियन रूपए और उससे अधिक की राशि की धोखाधड़ी की कोशिश के मामलों की सूचना रिज़र्व बैंक को देने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, बैंकों को 10 मिलियन रूपए और उससे अधिक की धोखाधड़ी की कोशिश के अलग-अलग मामलों की रिपोर्ट को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना जारी रखना चाहिए। रिपोर्ट में निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए :

- धोखा देने की कोशिश की कार्यप्रणाली।
- किस प्रकार की कोशिश धोखाधड़ी में परिवर्तित नहीं हो पाई अथवा कोशिश किस तरह असफल/विफल हो गई।
- मौजूदा प्रणालियों व नियंत्रणों को मजबूत बनाने हेतु बैंक द्वारा किए गए उपाय।
- जिस क्षेत्र में धोखाधड़ी का प्रयास किया गया था, वहाँ लागू की गई नई प्रणालियां व नियंत्रण।

7.2 इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान पता लगाए ऐसे मामलों की समेकित समीक्षा जिसमें प्रचालनों के ऐसे क्षेत्र जहां धोखाधड़ी की कोशिश की गई, वर्ष के दौरान नई प्रक्रियाओं तथा प्रणालियों की प्रभावकारिता, पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों की प्रवृत्ति, प्रक्रिया तथा प्रणाली में आगे किसी बदलाव की आवश्यकता, यदि हो, इत्यादि की सूचना, हर वर्ष 31 मार्च को संबंधित वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

## 8. धोखाधड़ी के मामलों को बंद करना

- 8.1 बैंक 0.1 मिलियन रूपए और उससे अधिक राशि के धोखाधड़ियों के मामलों का ब्यौरा तथा उन्हें बंद किए जाने के कारण नीचे दी गई प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, बेंगलुरु तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग/एसएसएम/एसबीएमडी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित करेंगे।
- 8.2 तिमाही के दौरान बंद किए गए धोखाधड़ी संबंधी मामलों की सूचना तिमाही विवरणी एफएमआर 3 में दी जानी चाहिए तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजने से पूर्व एफएमआर 2 विवरणी के संबंधित स्तंभों से इसका मिलान कर लेना चाहिए।
- 8.3 बैंक ऐसे ही मामलों को बंद किए गए मामलों के रूप में सूचित करें जिनमें नीचे लिखे अनुसार कार्रवाई पूरी हो गई हो तथा डीबीएस/एसएसएम/एसबीएमडी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो :
- i. सीबीआई/पुलिस/न्यायालय में विचाराधीन धोखाधड़ी संबंधी जिन मामलों का अंतिम निपटान हो गया हो।
  - ii. स्टाफ के उत्तरदायित्व पक्ष की जांच पूरी हो गई हो।
  - iii. धोखाधड़ी की राशि वसूल हो गई हो अथवा बट्टे खाते डाल दी गई हो।
  - iv. जहाँ भी लागू हो वहाँ बीमा संबंधी दावे का निपटान हो गया हो।
  - v. बैंक ने कार्य प्रणाली तथा कार्यविधि की समीक्षा कर ली हो, कारक घटकों का पता लगा लिया हो तथा कमियों को दुरुस्त कर लिया गया हो तथा इस तथ्य को उपयुक्त प्राधिकारी (बोर्ड/बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति) ने प्रमाणित कर दिया हो।

- 8.4** बैंक लंबित मामलों के अंतिम निपटान के लिए, विशेष कर ऐसे मामलों में जहाँ स्टाफ से संबंधित कार्रवाई पूरी हो गई हो, सीबीआई के साथ गंभीरता से अनुवर्ती कार्रवाई करें। इसी प्रकार, धोखाधड़ी के मामलों के अंतिम निपटान के लिए पुलिस प्राधिकारियों/न्यायालय के साथ भी गंभीरतापूर्वक अनुवर्ती कार्रवाई करें।
- 8.5** बैंकों को सीमित सांख्यिकी/रिपोर्टिंग उद्देश्यों हेतु 2.5 मिलियन रूपए तक की राशि से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों को बंद करने की अनुमति है, जहाँ:
- (अ) सीबीआई/पुलिस द्वारा प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने की तारीख से तीन वर्ष से अधिक समय तक जांच जारी है अथवा चालान/आरोप पत्र न्यायालय में दायर नहीं हुआ है, अथवा
- (ब) सीबीआई/पुलिस द्वारा आरोप पत्र/चालान दायर करने के बाद, न्यायालय में मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, अथवा चल रहा है।
- 8.6** बैंकों से अपेक्षित है कि वे ऐसे मामलों को बंद करने हेतु बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय जिसके क्षेत्राधिकार में बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है अथवा संबंधित एसएसएम/एसबीएमडी, से पूर्व अनुमोदन लेने के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन करें तथा ऐसे मामले बंद होने के बाद सीमित सांख्यिकी प्रयोजन के दृष्टिकोण से [दिनांक 05 जून 2009 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीएस.सीओ.एफआरएमसी बीसी.सं. 7/23.04.001/2008-09](#) में दिये गए अनुसार उनका फालो-अप करें।

## 9. पुलिस/सीबीआई को धोखाधड़ी की सूचना देने हेतु दिशानिर्देश

- 9.1** धोखाधड़ियों/गबन के मामलों पर कार्रवाई करते हुए बैंकों को, मात्र संबंधित राशि के शीघ्र वसूल करने के लिए ही प्रवृत्त नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें लोक-हित में और यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रेरित होना चाहिए कि दोषी व्यक्ति दण्डित हुए बिना नहीं छूटें। अतः सामान्य नियमानुसार निम्नलिखित मामले अनिवार्यतः राज्य पुलिस के पास भेजे जाने चाहिए:

बैंक की श्रेणी	धोखाधड़ी में शामिल राशि	एजेंसी जिसके पास शिकायत दर्ज की जानी चाहिए	टिप्पणी
निजी क्षेत्र/ विदेशी बैंक	10,000 रूपए और उससे अधिक	राज्य पुलिस	यदि स्टाफ द्वारा की गई हो
	0.1 मिलियन रूपए और उससे अधिक	राज्य पुलिस	यदि बाहरी व्यक्तियों द्वारा स्वयं की गई हो और/ अथवा बैंक के स्टाफ/ अधिकारियों की मिलीभगत से

	10 मिलियन रुपए और उससे अधिक	राज्य पुलिस के अलावा एसएफआईओ, कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ संकुल, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	धोखाधड़ी के ब्योरे एसएफआईओ को एफएमआर 1 फार्मेट में रिपोर्ट किए जाने चाहिए
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	30 मिलियन रुपए से कम 10,000 रुपए से अधिक लेकिन 0.1 मिलियन रुपए से कम	राज्य पुलिस स्थानीय पुलिस स्टेशन में	बैंक की संबंधित शाखा द्वारा शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए
	0.1 मिलियन रुपए और उससे अधिक जिसमें बाहरी व्यक्ति एवं बैंक स्टाफ का हाथ हो	राज्य सीआईडी/ संबंधित राज्य की आर्थिक अपराध शाखा	संबंधित बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख द्वारा शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए
	30 मिलियन रुपए से अधिक और 250 मिलियन रुपए तक	सीबीआई	सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा (जहां स्टाफ के शामिल होने का प्रथमदृष्ट्या (Prima facie) साक्ष्य हो) सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा (जहां स्टाफ के शामिल होने का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य न हो) के पास शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए
	250 मिलियन रुपए से अधिक और 500 मिलियन रुपए तक	सीबीआई	सीबीआई के बैंकिंग सुरक्षा एवं धोखाधड़ी कक्ष (BSFC) में शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए (चाहे उसमें सरकारी कर्मचारी शामिल हो अथवा नहीं)
	500 मिलियन रुपए से अधिक	सीबीआई	संयुक्त निदेशक (नीति), सीबीआई मुख्यालय, नई दिल्ली के पास शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए

9.2 10,000/- रूपए से कम राशि की धोखाधड़ी के सभी मामले जिनमें बैंक के अधिकारी संलिप्त हों , बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख को संदर्भित किए जाने चाहिए जो कि प्रत्येक मामले की संवीक्षा करेगा तथा बैंक की संबंधित शाखा को इस विषय में निर्देश देगा कि इसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट किया जाना चाहिए अथवा नहीं।

## 10. चेक से संबंधित धोखाधड़ियां, एहतियाती उपाय तथा भारतीय रिज़र्व बैंक एवं पुलिस को रिपोर्ट करना

10.1 चेक संबंधी धोखाधड़ी मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए यह स्पष्ट है कि, यदि चेकों के लेन-देन और/या प्रोसेसिंग के समय तथा नए खातों के खुलने के समय समुचित सावधानी बरती गयी होती तो उनको रोका जा सकता था। इस संबंध में बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे चेक प्रस्तुति/स्वीकृति तथा खाता निगरानी प्रक्रियाओं में नियंत्रणों की समीक्षा करें तथा उन्हें सशक्त बनाएँ और यह सुनिश्चित करें कि रोकथाम उपायों सहित सभी प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों का संबंधित स्टाफ/अधिकारियों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाता है ([डीबीएस. सीओ. सीएफ़एमसी.बीसी 006/23.04.001/2014-15 दिनांक 05 नवंबर 2014](#))। इस संबंध में रोकथाम के कुछ उपायों की निर्देशात्मक सूची भी बैंकों को दी गई थी जिसका अनुवर्तन उन्हें करना था, जैसे कि-

- i. सीटीएस-2010 के शत-प्रतशित अनुरूपी चेकों का इस्तेमाल सुनिश्चित करना।
- ii. चेक लेन-देन सेवा शाखाओं पर बुनियादी ढांचों को सुदृढ़ करना। सीटीएस आधारित क्लियरिंग हेतु लगाए गए उपकरण तथा नियुक्त कर्मचारी की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना ताकि यह मात्र यांत्रिक प्रक्रिया न रहे।
- iii. यह सुनिश्चित करना कि लाभार्थी के.वाय.सी (KYC) के अनुरूप है ताकि जब तक वह बैंक का ग्राहक बना रहे तब तक बैंक उससे आसानी से संपर्क स्थापित कर सके।
- iv. एक सीमा जैसे कि 0.2 मिलियन रुपये से ऊपर के सभी चेकों की यू वी लैप से जांच करना।
- v. एक सीमा जैसे कि 0.5 मिलियन रुपये से ऊपर के चेकों की विभिन्न स्तरों पर जांच करना।
- vi. जोखिम वर्गीकरण के आधार पर नए खोले गए लेन देन खातों में जमा तथा नामे की गहन निगरानी करना।
- vii. जब चेक क्लियरिंग में प्राप्त हो जाये तो भुगतानकर्ता/आहरणकर्ता को एसएमएस अलर्ट भेजना।

बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि आगे चलकर बैंक अपने द्वारा संचालित किए जाने वाले चेकों की मात्रा या जोखिम वहन करने की अपनी क्षमता के आधार पर अपने बोर्ड के अनुमोदन से ऊपर उल्लिखित अधिकतम सीमा (Threshold limits) को घटा अथवा बढ़ा सकते हैं।

10.2 बैंक संदेहास्पद या बड़ी राशि के चेकों (खाते के सामान्य स्तर के प्रचालनों के संबंध में) के लेन-देन हेतु निम्नलिखित निवारक उपायों पर विचार करें:

क) फोन काल द्वारा ग्राहक को अलर्ट करना तथा भुगतानकर्ता/आहरणकर्ता से पुष्टि प्राप्त करना।



ख) नॉन-होम चेकों के मामले में मूल शाखा से संपर्क करना।

यदि उपरोक्त उपायों को प्रणालीगत रूप से लागू करना संभव न हो तो उन्हें चयनात्मक आधार पर अपनाया जा सकता है।

- 10.3 यह रिपोर्ट किया गया है कि कुछ मामलों में यद्यपि मूल चेक ग्राहक के पास थे, तथापि धोखाधड़ी कर्ताओं ने उसी क्रम के चेकों को प्रस्तुत कर पैसे निकाल लिए। इस संबंध में, बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे उचित एहतियाती उपाय अपनाएं और यह सुनिश्चित करें कि गोपनीय सूचना जैसे कि ग्राहक का नाम/खाता संख्या/हस्ताक्षर, चेक क्रम संख्या तथा अन्य संबंधित जानकारी का बैंक या वेंडर (प्रिन्टर, कूरियर इत्यादि) द्वारा न तो समझौता किया जाता है और न ही उसका दुरुपयोग होने पाता है। ग्राहकों द्वारा काउंटरों पर चेक प्रस्तुत करने या वसूली बॉक्सों में डाले जाने के साथ ही चेकों की हैंडलिंग में समुचित सावधानी बरती जाये।
- 10.4 एकरूपता सुनिश्चित करने तथा दोहराव से बचने के लिए संक्षिप्त लिखतों (truncated instruments) के रूप में समाशोधन के लिए भेजे गए नकली/जाली लिखतों सहित जाली लिखतों से संबंधित धोखाधड़ियों की सूचना अदाकर्ता बैंकर द्वारा ही दी जाए, वसूलीकर्ता बैंकर द्वारा नहीं। ऐसे मामलों में प्रस्तुतकर्ता बैंको से यह अपेक्षित होगा कि वे पुलिस प्राधिकारियों के यहां प्राथमिकी दर्ज करवाने तथा धोखाधड़ी की भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करने हेतु अंतर्निहित लिखत की जब और ज्यों मांग की जाए, तत्काल अदाकर्ता/ भुगतानकर्ता बैंक को सौंप देगा। भुगतानकर्ता बैंकर को पुलिस में शिकायत दर्ज करानी होगी न कि वसूलीकर्ता बैंकर को।
- 10.5 तथापि, उन लिखतों के मामलों में, जो वास्तविक हैं, लेकिन जिनका संग्रहण धोखाधड़ीपूर्वक उस व्यक्ति द्वारा किया गया है जो उनका वास्तविक मालिक नहीं है, अथवा लिखत वसूली के ऐसे मामले में जहाँ वसूली से पूर्व रकम की जमा प्रविष्टियां कर दी गई हों तथा बाद में लिखत नकली/जाली पाई गई हो तथा अदाकर्ता बैंक द्वारा लौटा दी गई हो, वहां वसूलीकर्ता बैंक को मामले की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को करनी चाहिए। ऐसे मामलों में वसूलीकर्ता बैंकर को पुलिस में शिकायत दर्ज करानी होगी क्योंकि वे धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं अथवा लिखत की वसूली से पहले रकम अदा करने की वजह से उन्हें हानि उठानी पड़ी है।
- 10.6 एक ही बैंक की दो या अधिक शाखाओं को शामिल करते हुए रूपांतरित/जाली चेकों के संग्रहण के मामले में, जिस शाखा में रूपांतरित/जाली चेक भुनाया गया है, उस शाखा को अपने बैंक के प्रधान कार्यालय को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करनी चाहिए। उसी तरह से कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) के अंतर्गत एक ही बैंक की दो या अधिक शाखाओं द्वारा रूपांतरित/जाली चेकों के भुगतान करने/भुनाने के

मामले में वह शाखा जिसने रूपांतरित/जाली चेक के विरुद्ध भुगतान जारी किया है, उसे प्रधान कार्यालय को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करनी चाहिए। तत्पश्चात, उक्त बैंक का प्रधान कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक के पास धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करेगा तथा पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराएगा।

## 11 ऋण धोखाधड़ी – नया फ्रेमवर्क

11.1 बैंक द्वारा गठित किए गए एक आंतरिक कार्यदल की सिफारिशों के आधार ऋण धोखाधड़ियों से निपटने के लिए [दिनांक 7 मई 2015 के परिपत्र डीबीएस सीओ सीएफएमसी बीसी सं. 007/23.04.001/2014-15](#) के माध्यम से एक फ्रेमवर्क अमल में लाया गया।

### 11.2 फ्रेमवर्क का उद्देश्य

इस फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य है ऐसे मामलों की रोकथाम, जल्दी पहचान, रिज़र्व बैंक (प्रणाली स्तर पर समेकन, निगरानी एवं प्रसारण के लिए) एवं जांच एजेंसियों (धोखाधड़ी करनेवाले उधारकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई आरंभ करने के लिए) को तत्काल रिपोर्टिंग तथा स्टाफ की जवाबदेही तय करने के लिए समय पर कार्रवाई करने (लापरवाही अथवा मिलीभगत, यदि कोई हो, को तय करने के लिए) की ओर बैंकों का ध्यान आकर्षित करना है। साथ ही उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इससे बैंक के सामान्य कारोबार एवं उसकी जोखिम वहन करने की क्षमता पर कोई विपरीत असर न होने पाए और उस पर कोई नई एवं भारी जिम्मेदारी न आन पड़े। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए इस फ्रेमवर्क में बैंकों द्वारा की जानेवाली कार्रवाई के लिए समय-सीमा भी तय की गई है। ऋण की पूरी समयावधि के दौरान समयबद्ध/चरणबद्ध कार्रवाई करने से किसी भी धोखाधड़ी की पहचान करने में बैंक को लगनेवाले समय को कम किया जा सकेगा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों प्रभावी कार्रवाई करने में भी मदद मिलेगी। धोखाधड़ी के जारी रहने से होनेवाली हानि की मात्रा को कम करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि उसकी जल्द से जल्द पहचान कर सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

### 11.3 पूर्व चेतावनी संकेत (EWS) और रेड फ्लैग्ड खाते (RFA)

11.3.1 एक रेड फ्लैग्ड खाता वह है जिसमें एक या अधिक EWS की मौजूदगी से धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधि का अंदेशा होने लगे। किसी उधार खाते में ऐसे संकेत बैंक को धोखादायक साबित होनेवाली किसी भी कमजोरी अथवा गलत गतिविधि के प्रति तत्काल सचेत कर देंगे। बैंकों को ऐसे किसी भी EWS

को अनदेखा नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें चेतावनी के रूप में लेते हुए ऐसे RFA की विस्तृत जांच पड़ताल आरंभ कर देनी चाहिए।

11.3.2 बैंकों के मार्गदर्शन हेतु कुछ EWS की एक व्याख्यात्मक सूची इस परिपत्र के परिशिष्ट I में दी गई है। बैंक इस सूची में से अपने लिए उपयुक्त संकेतों को अपनाएं अथवा अपने अनुकूल बनाएं और साथ ही अपने अनुभव, ग्राहक प्रोफाइल एवं बिजनेस माडल के आधार पर अन्य अलर्ट/संकेतों को भी शामिल करें। बैंक द्वारा इस तरह से इकट्ठा किए गए EWS किसी खाते को RFA के रूप में वर्गीकृत करने का आधार होंगे।

11.3.3 एक बैंक के स्तर पर RFA और EWS के लिए अधिकतम सीमा है 500 मिलियन रुपये या उससे अधिक का एक्सपोजर फिर चाहे उधार देने की व्यवस्था (सोलो बैंकिंग , मल्टीपल बैंकिंग अथवा कंशोरिशियम) कोई भी हो। RFA अथवा 'धोखाधड़ी' के रूप में पहचाने गए 500 मिलियन रुपये से अधिक के सभी खातों को CRILC डाटा प्लेटफार्म पर रिपोर्ट किया जाना चाहिए, साथ ही वह तारीख भी दर्शाई जानी चाहिए जिस दिन उस खाते की पहचान इस रूप में की गई थी। CRILC डाटा प्लेटफार्म का विस्तार किया जा रहा ताकि इस सुविधा को प्रदान करने में उसे सक्षम बनाया जा सके। आज की तारीख में यह ऊपर पैरा 3 में दर्शाए गए अनुसार रिज़र्व बैंक को की जानेवाली रिपोर्टिंग के अलावा अतिरिक्त अपेक्षा है।

11.3.4 500 मिलियन रुपये की अधिकतम सीमा से कम की ऋण धोखाधड़ी की निगरानी का तरीका कैसा हो यह प्रत्येक बैंक तय कर सकता है। तथापि, बैंक मौजूदा कट-ऑफ के अनुसार पहचाने गए खातों की रिपोर्टिंग केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक को करना जारी रखेंगे।

11.3.5 ऋण खातों में EWS का पता लगाने के कार्य को एक अतिरिक्त कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसे बैंक की ऋण निगरानी प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए ताकि यह एक सतत प्रक्रिया बन सके तथा ऋण जोखिम एवं धोखाधड़ी जोखिम के परस्पर प्रभाव को देखते हुए यह उधार खातों में किसी संभावित क्रेडिट हानि के लिए चेतावनी का काम करे। बड़े खातों के संबंध में यह आवश्यक है कि बैंक वार्षिक रिपोर्ट का समग्र रूप से विस्तृत अध्ययन करें न कि केवल वित्तीय विवरणों का। वे विशेष रूप से बोर्ड रिपोर्ट और मैनेजमेंट चर्चा तथा एनालिसिस स्टेटमेंट के

साथ ही 'नोट्स टू अकाउंट' में पार्टियों के आपसी लेन-देन का अध्ययन करें। खातों के ऑपरेशन का कार्य देखनेवाले अधिकारी, चाहे उन्हें किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, को इसकी जानकारी दी जाए कि जैसे ही उन्हें पूर्व चेतावनी संकेतों का अंदेशा हो वे तत्काल उसकी जानकारी धोखाधड़ी निगरानी समूह (FMG) अथवा बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए गए किसी अन्य समूह को दें। इस पूरी प्रक्रिया को सार्थक बनाने के लिए रिपोर्टिंग न किए जाने अथवा रिपोर्टिंग में देरी की स्थिति में ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

11.3.6 FMG हर माह पूर्व चेतावनी संकेतों वाले 500 मिलियन रूपए या उससे अधिक के उधार खातों का ब्योरा उन्हें रेड फ्लैग खाते (RFA) माने जाने अथवा न माने जाने के निर्णय सहित सीएमडी/सीईओ को प्रस्तुत करें।

11.3.7 RFA पर एक रिपोर्ट धोखाधड़ी की मॉनिटरिंग एवं फॉलो-अप के लिए गठित बोर्ड की विशेष समिति (SCBF) को प्रस्तुत की जाए। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ की गई सुधारात्मक कार्रवाई का संक्षिप्त ब्योरा दिया जाए और साथ ही उनकी मौजूदा स्थिति पर भी प्रकाश डाला जाए।

## 11.4 जल्द पता लगाना और रिपोर्टिंग

11.4.1 इस समय धोखाधड़ी की पहचान में बहुत अधिक समय लग जाता है। जब किसी खाते में वसूली की कोई संभावना नहीं रह जाती तब जाकर बैंक उसे धोखाधड़ी वाले खाते के रूप में रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग में देरी से रिज़र्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों को सतर्कता सूचनाओं के माध्यम से धोखाधड़ी के तौर-तरीकों के बारे में अलर्ट करने में भी देरी होती है जिसका परिणाम यह होता है कि दूसरी जगहों पर उसी तरह की धोखाधड़ी की घटनाएँ घटित हो जाती हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इसकी वजह से कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कपटी उधारकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में भी देरी होती है जिसके फलस्वरूप वसूली का पहलू सर्वाधिक प्रभावित होता है और उस धोखाधड़ी से होनेवाली हानि बढ़ जाती है।

11.4.2 बैंकों के लिए किसी भी उधार खाते में धोखाधड़ी को रोकने का सबसे प्रभावी जरिया होगा उनके द्वारा उधार खाते की पूरी अवधि के दौरान एक मजबूत मूल्यांकन एवं प्रभावी ऋण निगरानी प्रणाली को बनाए रखना। यदि मूल्यांकन के दौरान कोई कमजोरी रह जाए तो ऋण वितरित किए जाने के बाद प्रभावी निगरानी प्रणाली के जरिए उसकी भरपाई की जा सकती है। निगरानी

प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए बैंकों के मिले-जुले अनुभव के विश्लेषण के आधार पर उधार की पूरी अवधि के दौरान अलग-अलग अवस्था में निम्नलिखित चेक/जांच की जानी चाहिए :

क) **मंजूरी-पूर्व:** क्रेडिट प्रोसेस के दौरान मंजूरी-पूर्व की जानेवाली जांच में बैंक के जोखिम प्रबंधन समूह (RMG) अथवा किसी अन्य उचित ग्रुप को शामिल किया जाना चाहिए जो स्वतंत्र रूप से पब्लिक डोमेन से संभावित उधारकर्ता का ट्रैक रिकार्ड, कानूनी विवादों में शामिल होने, बिजनेस पर पड़े छापे, सरकारी एजेंसियों द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों, प्रस्तुत की गई जानकारी/डाटा की ROC जैसे अन्य स्रोतों से अधिप्रमाणन (Validation), रिज़र्व बैंक/अन्य सरकारी एजेंसियों की चूककर्ता सूची से सूचना प्राप्त करने इत्यादि का कार्य करेंगे जिसका मंजूरी देनेवाले प्राधिकारी इनपुट के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक मंजूरी-पूर्व की गई इन जांचों को मंजूरी दस्तावेज के रूप में रिकार्ड में रखें।

ख) **संवितरण :** जोखिम प्रबंधन समूह द्वारा संवितरण के समय की जानेवाली जांच में मंजूरी के नियम एवं शर्तों के अनुपालन, इन नियमों एवं शर्तों में दी गई ढील के औचित्य, किस स्तर पर यह ढील दी गई इत्यादि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दी गई ढील बैंक के बोर्ड द्वारा इस बारे में तय किए गए फ्रेमवर्क के पूर्णतः अनुरूप होनी चाहिए। एक अच्छी परंपरा के रूप में मंजूरीकर्ता प्राधिकारी को चाहिए कि वह कुछ ऐसे नियम एवं शर्तें तय करे जिन्हें 'महत्वपूर्ण' (Core) माना जाए और उनमें कोई ढील न दी जाए। ऐसी 'महत्वपूर्ण' अपेक्षाओं का पालन न किए जाने पर जोखिम प्रबंधन समूह को चाहिए कि वह तत्काल उसे मंजूरीकर्ता प्राधिकारी के ध्यान में लाए।

ग) **वार्षिक समीक्षा :** हालांकि पूर्व चेतावनी संकेतों की ट्रैकिंग द्वारा किसी खाते पर सतत निगरानी रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन बैंकों को धोखाधड़ी के मद्देनजर खातों की वार्षिक समीक्षा के समय सतर्क रहना चाहिए। समीक्षा के समय अन्य बातों के अलावा खाते में से निधि के विपथन (Diversion), स्टॉक विवरण के अनुसार स्टॉक की उपलब्धता, ग्रुप खातों में दबाव (Stress) इत्यादि पर भी टिप्पणी की जानी चाहिए। इसके अलावा RMG में यह क्षमता होनी चाहिए कि वह बैंक के प्रमुख ग्राहकों के बारे में बाजार से जानकारी एकत्रित करे और ऋण अधिकारी को उससे अवगत कराए। इसके लिए उसे गोपनीय सूत्रों से जानकारी इकट्ठा करना, शेयर बाजार की

हलचल पर नजर रखना, प्रेस क्लिपिंग सेवा का सहारा लेना, डाटाबेस की सतत आधार पर निगरानी करना होगा और केवल उधार लेनेवाली इकाई पर ही नहीं बल्कि उसके पूरे समूह के संबंध में यह कार्रवाई करनी होगी।

### 11.5 स्टाफ को अधिकार देना (Empowerment)

कर्मचारियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि उन्हें यदि किसी खाते में कोई गतिविधि धोखाधड़ी वाली लग रही है तो वे ऐसा लगने के कारणों सहित उसके बारे में बैंक की विसल ब्लोअर नीति के तहत उचित प्राधिकारी को रिपोर्ट करें जो बैंक के धोखाधड़ी निगरानी समूह के माध्यम से उस खाते की छान-बीन करा सकता है। FMG जरूरी स्पष्टीकरण के लिए उस कर्मचारी से बातचीत कर सकता है। ऐसे कर्मचारी को बैंक की विसल ब्लोअर नीति के तहत संरक्षण मिलना चाहिए ताकि बेवजह फंसाए जाने का डर उसे इस तरह के कदम उठाने से रोक न पाए।

### 11.6 लेखा परीक्षकों (Auditors) की भूमिका

लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षकों के सामने ऐसे मामले आ सकते हैं जहां उन्हें लगे कि किसी खाते में लेन-देन या उससे जुड़े दस्तावेज धोखाधड़ी का संकेत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें इसकी जानकारी तत्काल बैंक के शीर्ष प्रबंधन को देनी चाहिए और यदि जरूरी हो तो उपयुक्त कार्रवाई हेतु इसे बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (ACB) के ध्यान में भी लाया जाना चाहिए।

### 11.7 तत्पर रिपोर्टिंग के लिए प्रोत्साहन

बैंकों को 'धोखाधड़ी' के रूप में पहचाने गए खातों के लिए तत्काल पूर्ण प्रावधान (Provision) करना होगा, फिर चाहे उस उधार खाते के लिए दी गई जमानत का मूल्य कितना भी क्यों ना हो। लेकिन यदि बैंक एक ही बार में पूरा प्रावधान करने की स्थिति में न हो तो अब वह चार तिमाहियों के दौरान ऐसा प्रावधान कर सकता है बशर्ते उसकी रिपोर्टिंग में देरी न होने पाए (देखें दिनांक 01 अप्रैल 2015 का परिपत्र डीबीआर सं.बीपी.बीसी.83/21.04.048/2014-15)। देरी की स्थिति में मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट (MBA) के तहत अथवा सहायता संघ (Consortium) में शामिल सदस्य बैंकों को उक्त परिपत्र के अनुसार एक ही बार में पूरा प्रावधान करना होगा। इस परिपत्र के अनुसार

देरी का मतलब होगा, (i) अधिकतम छह माह की समय-सीमा वाले RFA के माध्यम से धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किए जाने अथवा (ii) बैंक द्वारा अब तक की प्रथा के अनुसार धोखाधड़ी की पहचान/घोषणा करने के एक सप्ताह के अंदर ऐसी धोखाधड़ी की सूचना केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक को नहीं दी गई अथवा उसे CRILC प्लेटफार्म, भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट नहीं किया गया।

## 11.8 बैंक अकेले उधार देने वाले ( Sole Lender) के रूप में

11.8.1 ऐसे मामलों में, जहां बैंक एकमात्र उधार देनेवाला हो, वहां धोखाधड़ी प्रबंधन समूह(FMG) यह तय करेगा कि जिस खाते में पूर्व चेतावनी संकेत देखे गए हैं उन्हें RFA के रूप में वर्गीकृत किया जाए अथवा नहीं। इस पूरी प्रक्रिया को जल्द से जल्द लेकिन पूर्व चेतावनी संकेत देखे जाने के एक माह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। यदि वह खाता RFA मान लिया जाता है तो धोखाधड़ी प्रबंधन समूह यह तय करेगा कि अगली जांच क्या और किस स्तर की होगी अथवा बैंक के हितों की रक्षा करने के लिए तय समय-सीमा, जो छह माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, के अंदर कौन सी सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

11.8.2 बैंक, RFA के बारे में किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले फॉरेंसिक विशेषज्ञ (Forensic Experts) अथवा जांच के लिए बनाई गई आंतरिक टीम सहित बाहरी लेखा परीक्षकों की सहायता ले सकते हैं। इस समय-सीमा, जो छह माह से अधिक नहीं हो सकती, की समाप्ति पर बैंक या तो उस खाते को RFA के स्टेटस से बाहर कर देंगे या फिर उसे धोखाधड़ी वाले खाते की श्रेणी में डाल देंगे।

11.8.3 धोखाधड़ी प्रबंधन समूह (FMG) की टिप्पणियों/निर्णयों सहित RFA पर एक रिपोर्ट SCBF को प्रस्तुत की जाए। इस रिपोर्ट में खाते में पाए गए पूर्व चेतावनी संकेत/ अनियमितताओं को शामिल किया जाए तथा धोखाधड़ी प्रबंधन समूह (FMG) द्वारा दिए गए जांच के आदेश/प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई के संक्षिप्त ब्योरे के साथ ही उनकी मौजूदा स्थिति पर भी प्रकाश डाला जाए।

## 11.9 कंसोर्शियम अथवा मल्टीपल बैंकिंग व्यवस्था के तहत उधार देना

11.9.1 कुछ बेईमान उधारकर्ता जो 'मल्टीपल बैंकिंग व्यवस्था' के अंतर्गत ऋण सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, वित्तपोषक बैंकों में से एक को धोखा देने के बाद दूसरे वित्त पोषक बैंकों से सुविधाएं प्राप्त करना जारी रखते हैं और कुछ मामलों में उन बैंकों से उच्चतर सीमाएं भी प्राप्त कर लेते हैं। कतिपय मामलों में उधारकर्ता उस बैंक से जहाँ धोखाधड़ी की जा रही है, निधियों को दुर्विनियोजन द्वारा अंतरित करने के लिए अन्य वित्त पोषक बैंकों में खोले गए खातों का उपयोग करते हैं। ऐसा विभिन्न ऋणदाता बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के मध्य सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु एक औपचारिक व्यवस्था की कमी के कारण होता है। धोखाधड़ी के कुछ मामलों में उधारकर्ताओं द्वारा विभिन्न बैंकों को दी गई जमानतें एक ही होती हैं।

11.9.2 इसे देखते हुए, उन सभी बैंकों को जिन्होंने किसी उधारकर्ता को 'मल्टीपल बैंकिंग' व्यवस्था' के तहत वित्तपोषित किया है, कानूनी/आपराधिक कार्रवाई, वसूली हेतु फालो-अप, जालसाजी की क्रियाविधि से जुड़े ब्यौरों के आदान-प्रदान, भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ियों से संबंधित आंकड़ों/जानकारी में एकरूपता लाने के लिए आमतौर पर सहमत रणनीति के आधार पर समन्वित कार्रवाई करनी चाहिए। अतएव, किसी धोखाधड़ी का पता लगाने वाले बैंक से यह अपेक्षित है कि वह इसके ब्यौरों को "मल्टीपल बैंकिंग व्यवस्था" में शामिल अन्य सभी बैंकों के साथ साझा करे।

11.9.3 सहायता संघ व्यवस्था में शामिल प्रत्येक बैंक को चाहिए कि वह किसी भी तरह के क्रेडिट एक्सपोजर से पूर्व उसकी विधिवत जांच करे और खातों में फंड के उपयोग के मामले में सहायता संघ के लीडर पर पूरी तरह से निर्भर रहने के बजाए स्वतंत्र रूप से उस पर निगरानी रखे। तथापि, एस्करो खातों की निगरानी के मामले में पूरा ब्योरा सहायता संघ द्वारा तैयार किया जाना चाहिए एवं उसे विधिवत दर्ज किया जाना चाहिए ताकि आगे चलकर जवाबदेही तय करने में आसानी हो। इसके अलावा, अब तक की परंपरा के अनुसार वार्षिक समीक्षा अथवा पूर्व चेतावनी संकेतों को ट्रैक करते समय धोखाधड़ी के नजरिए से यदि कोई प्रमुख चिंताजनक बात नजर आए तो उसे तत्काल दूसरे सहायता संघ /मल्टीपल बैंकिंग व्यवस्था के तहत उधार देनेवालों के साथ शेयर किया जाना चाहिए।



11.9.4 किसी मानक अथवा एनपीए खाते को RFA अथवा धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का आरंभिक निर्णय प्रत्येक बैंक के स्तर पर लिया जाएगा और उस बैंक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसे खाते के RFA अथवा धोखाधड़ी स्टेटस के बारे में CRILC प्लैटफॉर्म पर रिपोर्ट करे ताकि अन्य बैंकों को अलर्ट किया जा सके। उसके बाद 15 दिन के भीतर जिस बैंक ने उस खाते को रेड फ्लैग किया था अथवा धोखाधड़ी का पता लगाया था वह उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सहायता संघ के लीडर अथवा मल्टीपल बैंकिंग व्यवस्था के तहत सबसे अधिक उधार देनेवाले बैंक से JLF की बैठक बुलाने के लिए कहेगा। ऐसा अनुरोध मिलने के 15 दिनों के भीतर JLF की बैठक अवश्य आयोजित की जानी चाहिए। यदि व्यापक सहमति बनती हो तो उस खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए अन्यथा कुल उधारी में कम से कम 60 प्रतिशत हिस्सेदारी वाले बैंकों के बहुमत की सहमति के नियम के आधार पर उस खाते को सभी बैंकों द्वारा रेड फ्लैग कर दिया जाना चाहिए और सहायता संघ के लीडर अथवा मल्टीपल बैंकिंग व्यवस्था के तहत सबसे अधिक उधार देनेवाले बैंक द्वारा उसकी फॉरेंसिक लेखा परीक्षा अधिकृत अथवा आरंभ करवानी चाहिए। सहायता संघ अथवा मल्टीपल बैंकिंग व्यवस्था में शामिल सभी बैंक इस संबंध में होनेवाले खर्च को आपस में बांट लेंगे और ऐसी जांच के लिए जरूरी सभी सहायता प्रदान करेंगे।

11.9.5 JLF की जिस बैठक में लेखा परीक्षा करने का निर्णय लिया जाएगा उसकी तारीख से अधिकतम 3 माह के भीतर फॉरेंसिक लेखा परीक्षा पूरा कर ली जानी चाहिए। फॉरेंसिक लेखा परीक्षा पूरा होने के 15 दिन के अंदर JLF दोबारा बैठक कर खाते के स्टेटस के बारे में आपसी सहमति अथवा ऊपर बताए गए अनुसार बहुमत के नियम के आधार पर निर्णय लेगा। यदि उस खाते को धोखाधड़ी वाले खाते के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया जाता है तो सभी बैंकों में उसका RFA का स्टेटस बदलकर धोखाधड़ी हो जाएगा और ऐसा निर्णय लिए जाने के एक सप्ताह के अंदर उसकी सूचना रिज़र्व बैंक एवं CRILC प्लैटफॉर्म पर दी जाएगी। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए जाने के 15 दिन के अंदर फॉरेंसिक लेखा परीक्षा

अधिकृत/आरंभ करनेवाला बैंक, सहायता संघ अथवा बहु बैंकिंग व्यवस्था के सभी बैंकों की ओर से सीबीआई के पास शिकायत दर्ज कराएगा।

11.9.6 यह ध्यान रखा जाए कि CRILC प्लैटफार्म पर जिस तारीख को सबसे पहले सदस्य बैंक ने खाते को RFA अथवा धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट करवाया था उससे ठीक 6 माह के अंदर यह सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जानी चाहिए।

## 11.10 स्टाफ जवाबदेही

11.10.1 एनपीए के रूप में पहचाने गए खातों की तरह ही बैंकों को चाहिए कि वे धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किए जाने की तारीख से छह माह के अंदर स्टाफ की जवाबदेही तय कर लें। जहां जरूरी समझा जाए अथवा आवश्यकता हो वहां इस प्रक्रिया में मंजूरी अधिकारी की भूमिका की भी जांच की जाए। अब तक की परंपरा के अनुसार धोखाधड़ी के संबंध में स्टाफ की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया के पूरा होने एवं की गई कार्रवाई की जानकारी SCBF को प्रस्तुत की जानी चाहिए और तिमाही आधार पर रिज़र्व बैंक को भी सूचित किया जाना चाहिए।

11.10.2 बैंक धोखाधड़ी के सभी मामलों को सतर्कता (Vigilance) या गैर-सतर्कता के रूप में अलग-अलग कर लें। केवल सतर्कता के मामलों को जांच करनेवाले प्राधिकारियों को भेजा जाए। गैर-सतर्कता वाले मामलों की जांच एवं निपटान बैंक के स्तर पर ही की जानी चाहिए और इसे छह माह के अंदर पूरा कर लिया जाना चाहिए।

11.10.3 जिन मामलों में बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक (Senior Executives) शामिल हों, वहां स्टाफ जवाबदेही तय करने के लिए बोर्ड/ACB/SCBF द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए।

11.10.4 स्टाफ की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया को इस आधार पर रोका नहीं जाना चाहिए कि उस मामले को कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंपा जा रहा है। आपराधिक जांच के साथ-साथ आंतरिक पूछताछ भी जारी रहनी चाहिए।

## 11.11 कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास शिकायत दर्ज कराना

- 11.11.1 धोखाधड़ी का पता चलते ही बैंकों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए। बेहतर तो यह होगा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास शिकायत दर्ज कराने में कोई देरी न होने पाए क्योंकि हो सकता है कि ऐसी देरी से 'विश्वासजन्य' दस्तावेज खो जाएं, गवाह न मिल पाएं, उधारकर्ता गायब हो जाए और धोखेबाज उधारकर्ता द्वारा जमानत के रूप में रखी गई आस्तियों को गायब करने के साथ ही मनी ट्रेल (Money Trail) की संभावना भी धूमिल पड़ जाए।
- 11.11.2 यह देखा गया है कि बैंकों में सीबीआई/पुलिस के पास शिकायतें दर्ज कराने के लिए कोई केंद्र बिंदु (Focal Point) नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि बैंकों द्वारा अलग-अलग तरीके से शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं और जांच एजेंसी को बैंकों में यहां-वहां बिखरे अधिकारियों से संपर्क करना पड़ता है। यही वह सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से शिकायतों को FIR का रूप देने में देरी होती है। इसलिए बैंकों को यह आदेश दिया जा रहा है कि वे बैंक की ओर से सीबीआई को दर्ज की जानेवाली सभी शिकायतों के लिए एक केंद्रीय स्थल (Nodal Point) बनाएं/ अधिकारी को नामित करें जो शिकायतों में पाई गई कमियों को दूर करने और समन्वय के एकल बिंदु के रूप में काम करे।
- 11.11.3 बैंक द्वारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास दर्ज की जानेवाली किसी भी शिकायत को अच्छी तरह से ड्राफ्ट किया जाना चाहिए और उसकी जांच अनिवार्यतः विधि अधिकारी से करवानी चाहिए। यह भी देखा गया है कि कई बार बैंक उधारकर्ताओं द्वारा की गई चीटिंग, फंड के दुरुपयोग, फंड के अन्यत्र उपयोग इत्यादि के आधार पर सीबीआई/पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं जबकि उन्होंने न तो ऐसे खातों की पहचान धोखाधड़ी के रूप में की होती है और न ही उसकी रिपोर्टिंग रिज़र्व बैंक को की होती है। चूंकि ऐसे कारण किसी भी खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का आधार होते हैं अतः बैंकों को चाहिए कि वे ऐसे खातों की पहचान अनिवार्यतः धोखाधड़ी के रूप में करें और उसकी जानकारी रिज़र्व बैंक को दें।

## 11.12 कपटी उधारकर्ताओं के लिए दंडात्मक उपाय

11.12.1 आम तौर पर जो दंडात्मक उपाय जानबूझकर चूक करनेवाले उधारकर्ताओं पर लागू हैं वही कपटी उधारकर्ताओं पर भी लागू होंगे। कंपनियों द्वारा बैंकिंग प्रणाली से अथवा पूंजी बाजार से फंड इकट्ठा किए जाने की स्थिति में यह उपाय ऐसी कंपनी के प्रमोटर निदेशकों और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों पर भी उसी तरह लागू होंगे। विशेष रूप से, जिन उधारकर्ताओं ने चूक की है और खाते में धोखाधड़ी भी की है, उन पर धोखाधड़ी की रकम को पूरी तरह से लौटाने की तारीख से पांच साल की अवधि तक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, डेवलपमेंट फाइनांशियल इंस्टिट्यूशंस, सरकारी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, निवेश संस्थाओं इत्यादि से बैंक वित्त लेने पर रोक लगा दी जाएगी। इस अवधि के बाद यह प्रत्येक संस्था पर निर्भर करेगा कि वह ऐसे उधारकर्ता को ऋण दे अथवा नहीं। गैर-पूर्णकालिक निदेशकों (जैसे कि नामिती निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों) के मामले में उनकी मिलीभगत के निर्णायक सबूत होने पर ही दंडात्मक प्रावधान उन पर लागू होंगे।

11.12.2 RFA अथवा धोखाधड़ी वाले खातों के मामले में किसी भी तरह के नवीनीकरण अथवा अतिरिक्त सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए।

11.12.3 आपराधिक शिकायत के बने रहते कपटी उधारकर्ता के साथ किसी भी तरह का सुलहकारी समझौता करने की अनुमति नहीं है।

11.12.4 उपर्युक्त उधारकर्ताओं के अतिरिक्त - धोखाधड़ी करनेवालों, तीसरी पार्टियों, यथा - बिल्डरों, वेअरहाउस/कोल्ड स्टोरेज मालिकों, मोटर वाहन/ट्रैक्टर विक्रेताओं, ट्रवेल एजेंटों इत्यादि और पेशेवरों यथा - शिल्पकारों, मूल्यांककों, सनदी लेखाकारों, अधिवक्ताओं आदि ने यदि ऋण की मंजूरी/संवितरण अथवा धोखाधड़ी करने में सहयोग हेतु उल्लेखनीय भूमिका निभायी है तो उन्हें भी उत्तरदायी ठहराना चाहिए। दिनांक 16 मार्च 2009 के परिपत्र डीबीएस. सीओ. एफआरएमसी.बीसी.सं. 3/23.08.001/2008-09 के माध्यम से दी गई सूचना के अनुसार बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे धोखाधड़ी की घटनाओं में शामिल ऐसी तीसरी पार्टियों का ब्यौरा भारतीय बैंक असोसिएशन (आईबीए) को दें।

11.12.5 आईबीए को रिपोर्ट करने से पहले, बैंक संबंधित तीसरी पार्टियों के शामिल होने के बारे में संतुष्ट हो लें तथा उन्हें अपना पक्ष रखने का भी अवसर दें। इस संबंध में बैंकों को औपचारिक कार्यविधियां अपनानी चाहिए और अपनायी गई प्रक्रियाओं को उचित ढंग से रिकार्ड किया जाना चाहिए। ऐसी सूचनाओं के आधार पर आईबीए बारी-बारी से ऐसी तीसरी पार्टियों की सावधानी सूचियां तैयार करेगा और उन्हें बैंकों को परिचालित करेगा।

## 12 चोरी, सेंधमारी, डकैती एवं बैंक लूटने के मामलों की रिपोर्टिंग

12.1 बैंकों को चाहिए कि वे बैंक में लूटमारी, डकैती, चोरी तथा सेंधमारी की घटनाओं के घटित होते ही उनकी रिपोर्ट तत्काल फैक्स/ई-मेल द्वारा निम्नलिखित प्राधिकारियों को देने की व्यवस्था करें-

(क) केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, बेंगलूर

(ख) डीबीएस/एसएसएम /एसबीएमडी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है।

(ग) डीबीएस का क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके अधिकार क्षेत्र में प्रभावित बैंक शाखा स्थित है ताकि क्षेत्रीय कार्यालय राज्य स्तरीय सुरक्षा बैठकों के दौरान संबंधित प्राधिकारियों के साथ सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित मामलों को उठा सकें (पृष्ठांकन)।

(घ) सुरक्षा परामर्शदाता, केंद्रीय सुरक्षा कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, मुंबई - 400 001.

(ङ) वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, जीवन दीप, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

इस रिपोर्ट में धोखाधड़ी करने के तौर-तरीकों का ब्योरा तथा अन्य सूचना एफएमआर- 4 के कालम 1 से 11 में दी जानी चाहिए।

12.2 बैंकों को सीएफ़एमसी, बेंगलूर को तिमाही से संबंधित सभी मामलों को शामिल करते हुए एफएमआर 4 (सॉफ्ट कॉपी) में दिए गए फार्मेट में तिमाही समेकित विवरण भी प्रस्तुत करना चाहिए। यह संबंधित तिमाही की समाप्ति से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

12.3 जिन बैंकों में तिमाही के दौरान रिपोर्ट किए जाने हेतु चोरी, सेंधमारी, डकैती तथा/या लूटमारी की कोई घटनाएं नहीं हुई हैं, वे “कुछ नहीं” रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

वरिष्ठ पर्यवेक्षणीय प्रबन्धक (एसएसएम) के पर्यवेक्षणीय दायरे के अंतर्गत बैंकों की सूची

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के अंतर्गत बैंक (2015-16 के दौरान )	
क. एसएसएम द्वारा पर्यवेक्षित बैंक	
क्रम सं.	बैंक का नाम
1	पंजाब नैशनल बैंक
2	कैनरा बैंक
3	बैंक ऑफ बड़ौदा
4	बैंक ऑफ इंडिया
5	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
6	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
7	इंडियन बैंक
8	आईडीबीआई बैंक लि.
9	सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
10	विजया बैंक
11	सिंडीकेट बैंक
12	भारतीय स्टेट बैंक
13	आईसीआईसीआई बैंक लि.
14	एचडीएफसी बैंक लि.
15	एक्सिस बैंक लि.
16	यैस बैंक लि.
17	कोटक महिंद्रा बैंक लि.
18	इंडसइंड बैंक लि.
19	फेडरल बैंक लि.
20	साउथ इंडियन बैंक लि.
21	रत्नाकर बैंक प्राइवेट लि.
22	सिटी बैंक एनए
23	हाँगकाँग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लि.
24	स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लि.

25	ड्यूश बैंक (एशिया )
26	डीबीएस बैंक लि.
27	बीएनपी परिबास
28	जेपी मॉर्गन चेस बैंक , नैशनल एशोसिएशन
29	बाक्लेय बैंक पीएलसी
30	बैंक ऑफ अमेरिका, नैशनल एशोसिएशन
31	द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एनवी
32	क्रेडिट अग्रीकोल कॉर्पोरेट एंड इनवेस्टमेंट बैंक
33	द बैंक ऑफ टोक्यो – मित्सुबिशी यूएफजे , लि.

<b>ख. छोटे बैंक निगरानी प्रभाग (एसबीएमडी) द्वारा पर्यवेक्षित बैंक</b>	
34	बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया
35	सोसाइटी जेनरले
36	मिजुहो कॉर्पोरेट बैंक लि.
37	क्रेडिट सुइस ए जी
38	आस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लि.
39	वेस्ट्पैक बैंकिंग कॉर्पोरेशन
40	शिनहान बैंक
41	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प
42	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.
43	यूबीएस एजी
44	सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन
45	रबोबैंक इंटरनेशनल
46	फ़र्स्टरैंड बैंक
47	स्टेट बैंक ऑफ मोरिशियस लि.
48	बैंक ऑफ बैहरेन एंड कुवैत बीएससी
49	नैशनल आस्ट्रेलिया बैंक
50	अंटवर्प डायमंड बैंक एनवी
51	इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना
52	सीटीबीसी बैंक



53	वूरी बैंक
54	कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया
55	यूनाइटेड ओवरसीज़ बैंक लि.
56	स्वेर बैंक
57	बैंक ऑफ सीलोन
58	मशरेक बैंक पीएससी
59	कृंग थाई बैंक पीसीएल
60	बैंक इंटरनैशल इन्डोनेशिया
61	एचएसबीसी बैंक ओमान एसएओजी
62	एबी बैंक लि.
63	जेएससी वीटीबी बैंक
64	सोनाली बैंक लि.

कुछ पूर्व चेतावनी संकेत जो बैंक अधिकारियों को ऋण खातों में होने वाले उलटफेर, जो बाद में धोखाधड़ी में परिवर्तित हो सकते हैं, के लिए सावधान करेंगे

1. बैंकों / विविध देनदारों और अन्य सांविधिक संस्थाओं आदि के भुगतान में चूक होना, अधिक मूल्य वाले चेकों का बाउंस होना
2. आय कर / बिक्री कर / सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अधिकारियों द्वारा छपा
3. उधारकर्ता के प्रोजेक्ट के दायरे में बार-बार बदलाव
4. इन्वेटरी का कम बीमा लेना अथवा ज्यादा बीमा लेना
5. टीएएन (TAN) और अन्य ब्योरा रहित इन्वायस
6. Collateral Security के स्वामित्व पर विवाद
7. प्रोजेक्ट की लागत जो प्रोजेक्ट को स्थापित करने की मानक लागत से काफी अलग हो
8. बकाया ऋण राशि की अदायगी के लिए अन्य बैंकों से फंड लेना
9. विदेशी बिलों का अधिक समय तक बकाया रहना तथा बिलों के अतिदेय होने की प्रवृत्ति
10. बैंक गारंटी / साख पत्र / Standby LC को जारी करने के जटिल (Onerous) नियम
11. मर्चेण्टिंग कारोबार में, बैंक को 'Import Leg' के बारे में नहीं बताना
12. उधारकर्ता द्वारा छोटे-मोटे कारण बताकर गोदाम के निरीक्षण को टालने का अनुरोध
13. बकाया राशियों के भुगतान में देरी
14. शाखा से अधिक दूरी पर स्थित यूनिट का वित्तपोषण
15. 'Claims not acknowledged as debt high
16. बार-बार बैंक गारंटी का उपयोग करना तथा LC को devolve करना
17. ब्याज के भुगतान के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की मंजूरी
18. एक ही Collateral को एक से अधिक उधार देनेवालों को प्रभारित (Charge) करना
19. मास्टर एग्रीमेंट, बीमा कवर आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को छिपाना

20. उधार ली गई राशि का निवेश कर front/ सहयोगी कंपनी खोलना
21. प्रमोटर / निदेशक के शेयर में कमी
22. प्रमुख अधिकारियों का पद त्याग तथा प्रबंधन में बार-बार परिवर्तन
23. वर्ष-दर-वर्ष बिल रहित राजस्व में पर्याप्त वृद्धि
24. आपस में जुड़ी कंपनियों के साथ बड़ी संख्या में लेन-देन तथा ऐसी कंपनियों के पास बहुत अधिक बकाया का होना
25. Inventory में उल्लेखनीय बदलाव जो कुल बिक्री में हुई वृद्धि की तुलना में गैर-आनुपातिक रूप से अधिक हो
26. प्राप्य राशियों में उल्लेखनीय बदलाव जो कुल बिक्री में हुई वृद्धि की तुलना में गैर-आनुपातिक रूप से अधिक हो और/अथवा प्राप्य राशियों की परिपक्वता में वृद्धि
27. अन्य चालू आस्तियों में गैर-आनुपातिक वृद्धि
28. कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में कार्यशील पूंजी उधार में उल्लेखनीय वृद्धि
29. स्टॉक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में उजागर विवेचनात्मक मुद्दे
30. कुल बिक्री में वृद्धि के बिना स्थिर संपत्तियों में वृद्धि (जब प्रोजेक्ट को कार्यान्वित किया गया)
31. उधारकर्ता के तुलन पत्र में भारी नकद राशि और उसके समकक्ष राशियों के बावजूद, उधार में वृद्धि
32. ROC सर्च रिपोर्ट में पाई गई देयताओं को उधारकर्ता द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में न दर्शाना
33. आपस में जुड़ी पार्टियों में अत्यधिक लेन-देन
34. वार्षिक रिपोर्ट में वस्तुगत (Material) असंगतियाँ
35. वार्षिक रिपोर्ट के अंदर महत्वपूर्ण भिन्नताएँ (विभिन्न खंडों के बीच)
36. वस्तुगत प्रतिकूल सूचनाओं का खराब प्रकटीकरण और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उल्लेख न करना
37. लेखा अवधि और/अथवा लेखा नीतियों में बार-बार परिवर्तन
38. सामान्य प्रयोजनों के लिए बार-बार ऋण का अनुरोध
39. खाते को एक बैंक से दूसरे बैंक में ले जाना

40. बारंबार तदर्थ मंजूरियाँ (Ad hoc sanctions)
41. बिक्री से मिलनेवाली राशि को बैंक के माध्यम से न भेजना
42. स्थानीय व्यापार/आपस में जुड़ी पार्टियों के बीच लेन-देन हेतु जारी LC
43. असंबंधित पार्टियों को बड़ी राशि वाले RTGS भुगतान
44. उधार खातों में बड़े नकद आहरण
45. मूल बिलों को प्रस्तुत न करना

धोखाधड़ी निगरानी विवरणियां

एफएमआर - 1

बैंकों में वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखाधड़ियों के संबंध में रिपोर्ट

(पैराग्राफ 3 के अनुसार)

भाग क : धोखाधड़ी संबंधी रिपोर्ट

1	बैंक का नाम	<input type="text"/>
2	धोखाधड़ी संख्या 1	<input type="text"/>
3	शाखा का ब्यौरा 2 -	
(क)	शाखा का नाम	<input type="text"/>
(ख)	शाखा का प्रकार	<input type="text"/>
(ग)	स्थान	<input type="text"/>
(घ)	ज़िला	<input type="text"/>
(ङ)	राज्य	<input type="text"/>

- 4 मुख्य पार्टी / खाते का नाम <sup>3</sup>
- 5 (क) वह परिचालन क्षेत्र जिसमें धोखाधड़ी हुई है <sup>4</sup>
- (ख) क्या धोखाधड़ी उधार खाते में हुई
- 6 (क) धोखाधड़ी का स्वरूप <sup>5</sup>
- (ख) क्या धोखाधड़ी में कंप्यूटर का प्रयोग किया गया ?
- (ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा
- 7 धोखाधड़ी की कुल राशि <sup>6</sup> (मिलियन रुपयों में)
- 8 (क) धोखाधड़ी होने की तारीख <sup>7</sup>
- (ख) पता लगने की तारीख <sup>8</sup>
- (ग) धोखाधड़ी का पता लगने में हुए विलंब , यदि कोई हो, के कारण

- (घ) भारिबैं को सूचित करने की तारीख ९
- (ङ) भारिबैं को धोखाधड़ी की सूचना देने में हुई देरी, यदि कोई हो, के कारण
- 9 (क) संक्षिप्त इतिहास
- (ख) कार्यप्रणाली
- 10 यह धोखाधड़ी किसने की -
- (क) स्टाफ
- (ख) ग्राहक
- (ग) बाहरी व्यक्ति
- 11 (क) क्या नियंत्रक कार्यालय (क्षेत्रीय / आंचलिक) शाखा द्वारा प्रस्तुत नियंत्रक विवरणियों की संवीक्षा से धोखाधड़ी का पता लगा सका ?
- (ख) क्या सूचना प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ?

12 (क) क्या शाखा (शाखाओं) में पहली बार यह धोखाधड़ी होने की तारीख और उसका पता चलने के बीच की अवधि के दौरान आंतरिक निरीक्षण / लेखा-परीक्षा (समवर्ती लेखा-परीक्षा सहित) की गई थी।

हां / नहीं\*

(ख) यदि हां, तो ऐसे निरीक्षण / लेखा-परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी का पता क्यों नहीं चला ?

(ग) ऐसे निरीक्षण / लेखा-परीक्षा में धोखाधड़ी का पता न लगा सकने पर क्या कार्रवाई की गई ?

13 की गई / प्रस्तावित कार्रवाई -

(क) पुलिस / सीबीआई में शिकायत -

(i) क्या पुलिस / सीबीआई के पास कोई शिकायत दर्ज कराई गई है?

हाँ/नहीं

(ii) यदि हां, तो सीबीआई / पुलिस कार्यालय / शाखा का नाम -

(1) मामला सूचित करने की तारीख



(2) मामले की वर्तमान स्थिति

(3) पुलिस / सीबीआई जांच पूरी होने की तारीख

(4) पुलिस / सीबीआई द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख

(iii) यदि पुलिस / सीबीआई में रिपोर्ट नहीं किया गया तो उसके कारण

(ख) ऋण वसूली प्राधिकरण / न्यायालय में वसूली संबंधी वाद -

(i) वाद दायर करने की तारीख

(ii) वर्तमान स्थिति

(ग) बीमा संबंधी दावा -

(i) क्या किसी बीमा कंपनी में कोई दावा दाखिल किया गया है

हां / नहीं

(ii) यदि नहीं, तो उसके कारण

(घ) स्टाफ संबंधी कार्रवाई का ब्यौरा -

(i) क्या कोई आंतरिक जांच की गई / प्रस्तावित है?

हाँ/नहीं

(ii) यदि हां, जांच पूरी होने की तारीख

(iii) क्या कोई विभागीय जांच की गई है / प्रस्तावित है?

(iv) यदि हां, तो नीचे दिए गए फॉर्मेट के अनुसार ब्यौरा दें :

(v) यदि नहीं, तो उसके कारण

(ङ) ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उठाये गए / प्रस्तावित कदम

14 (क) वसूल की गई कुल राशि -

(i) संबंधित पार्टी / पार्टियों से वसूल की गई राशि

(ii) बीमा से

(iii) अन्य स्रोतों से

(ख) बैंक को हुए नुकसान की मात्रा

(ग) रखा गया प्रावधान

(घ) बट्टे खाते लिखी गई राशि

15

भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारार्थ सुझाव

### स्टाफ पर की गई कार्रवाई

सं.	नाम	पदना म	क्या निलंबित किया गया / निलंबन की तारीख	आरोप-पत्र जारी करने की तारीख	आंतरिक जांच शुरू करने की तारीख	जांच पूरी होने की तारीख	अंतिम आदेश जारी करने की तारीख	दिया गया दंड	अभियोजन / सज़ा / रिहाई, आदि का ब्यौरा

\* शाखा के निरीक्षण / लेखा-परीक्षा के प्रकार का उल्लेख करें।

**भाग ख : उधार खातों में धोखाधड़ी संबंधी अतिरिक्त जानकारी**

(इस भाग को 0.5 मिलियन रुपए और उससे अधिक की राशि के सभी उधार खातों में हुई धोखाधड़ियों के संबंध में भरा जाए)

क्र. सं.	पार्टी का प्रकार	पार्टी / खाते का नाम	पार्टी का पता

**उधार खाते का ब्यौरा**

पार्टी क्र.सं.	पार्टी / खाते का नाम	उधार खाता क्र.सं.	खाते का स्वरूप	मंजूरी की तारीख	स्वीकृत सीमा	बकाया शेष

**उधार खाते के निदेशक / स्वामी का ब्यौरा**

पार्टी / खाते का नाम	क्र.सं.	निदेशक / स्वामी का नाम	पता

**सहायक संस्था का ब्यौरा**

पार्टी / खाते का नाम	सहायक संस्था क्र.	सहायक संस्था का नाम	पता

## सहायक संस्था के निदेशक / स्वामी का ब्योरा

सहायक संस्था का नाम	क्रम संख्या	निदेशक का नाम	पता

### धोखाधड़ी रिपोर्ट (एफएमआर-1) संकलित करने के अनुदेश :

- 1 धोखाधड़ी संख्या : इसे कंप्यूटरीकरण और प्रति संदर्भ संबंधी सुविधा प्रदान करने को मद्देनजर रखते हुए प्रारंभ किया गया है। यह संख्या अल्फान्यूमेरिक फील्ड होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे : चार अक्षर (बैंक का नाम दर्शाने के लिए), वर्ष के लिए दो अंक (02, 03 आदि), तिमाही के लिए दो अंक (जनवरी-मार्च तिमाही आदि के लिए 01,) और अंतिम चार अंक, तिमाही में सूचित की गई धोखाधड़ी के लिए विशिष्ट कूटांक होंगे।
- 2 शाखा का नाम : यदि धोखाधड़ी एक से अधिक शाखा से संबंधित हो तो केवल किसी एक ऐसी शाखा का नाम दर्शाएं जहां पर धोखाधड़ियों में शामिल राशि सबसे अधिक हो और / अथवा जो मुख्यतः धोखाधड़ी के संबंध में मुख्य रूप से अनुवर्ती कार्रवाई कर रही हो। अन्य शाखाओं के नाम मद सं.8 के सामने संक्षिप्त इतिहास / कार्यप्रणाली में दर्शाए जाएं।
- 3 पार्टी का नाम : धोखाधड़ी की पहचान करने के लिए सुस्पष्ट नाम दिया जाए। उधार खातों में होने वाली धोखाधड़ियों के मामले में, उधारकर्ता का नाम दिया जाए। कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ियों के मामले में, धोखाधड़ी की पहचान करने के लिए कर्मचारी / कर्मचारियों का / के नाम / नामों को प्रयोग में लाया जा सकता है। जहां धोखाधड़ी हो गई है, जैसे कि समाशोधन खाते / अंतर-शाखा खाते में, और धोखाधड़ी में शामिल किसी कर्मचारी विशेष को तत्समय पहचान पाना संभव न हो तो उसे केवल "समाशोधन / अंतर-शाखा खाते में धोखाधड़ी " के रूप में ही मान लिया जाए।
- 4 वह परिचालन क्षेत्र जहां धोखाधड़ी हुई है : विवरण एफएमआर-2 (भाग क) के कॉलम 1 में दिए गए संबद्ध क्षेत्र दर्शाएं यथा [नकदी; जमा (बचत / चालू / मीयादी); अनिवासी खाते; अग्रिम (नकद ऋण / मीयादी ऋण / बिल / अन्य); विदेशी मुद्रा लेन-देन; अंतर-शाखा खाते; चेक / मांग ड्राफ्ट, आदि; समाशोधन, आदि, खाते; तुलन-पत्र से इतर (साख पत्र / गारंटी / सह-स्वीकृति/ अन्य); कार्ड / इन्टरनेट - क्रेडिट कार्ड ; एटीएम/डेबिट कार्ड; इंटरनेट बैंकिंग;अन्य )
- 5 धोखाधड़ी का स्वरूप : निम्नलिखित में से उस संबद्ध श्रेणी की संख्या चुनें जो धोखाधड़ी के स्वरूप का उत्तम वर्णन करती हो : (1) दुर्विनियोजन और आपराधिक विश्वास भंग, (2) जाली लिखतों/लेखा-बहियों में हेर-फेर अथवा बेनामी खातों के जरिए कपटपूर्ण नकदीकरण और संपत्ति का परिवर्तन, (3) पुरस्कार स्वरूप अथवा अवैध तुष्टीकरण के लिए दी गई अनधिकृत ऋण सुविधाएं। (4) लापरवाही और नकदी में कमी (5) छल और जालसाज़ी (6) विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देनों में अनियमितताएं (7) अन्य।
- 6 धोखाधड़ी की कुल राशि : सभी स्थानों पर राशि को दशमलव में दो अंकों तक लाख रुपए में दर्शाया जाए।

- 7 धोखाधड़ी होने की तारीख : यदि धोखाधड़ी होने की सही तारीख को बता पाना कठिन हो (उदाहरण के रूप में, यदि चोरियां किसी अवधि के दौरान हुई हों, अथवा यदि उधारकर्ता का विशिष्ट व्यवहार, जो बाद में गलत पाया गया हो, की वास्तविक तारीख सुनिश्चित करना संभव न हो) तो कोई ऐसी नोशनल तारीख दर्शाई जाए जो किसी व्यक्ति द्वारा की गई धोखाधड़ी की सबसे अधिक संभाव्य तारीख हो सकती हो (उदाहरणार्थ वर्ष 2002 में हुई किसी धोखाधड़ी के लिए 1 जनवरी, 2002)। विशिष्ट ब्यौरा, जैसे कि वह अवधि, जिसमें धोखाधड़ी की गई, इतिहास / कार्यप्रणाली में दिया जाए।
- 8 पता लगने की तारीख :यदि वास्तविक तारीख का पता न हो (जैसे कि निरीक्षण / लेखा-परीक्षा के दौरान पाई गई धोखाधड़ी के मामले में अथवा धोखाधड़ी का ऐसा मामला जो रिज़र्व बैंक के निर्देशों पर सूचित किया गया हो), तो ऐसी नोशनल तारीख दर्शाई जाए जिस दिन धोखाधड़ी होने का पता चला हो।
- 9 भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित करने की तारीख : सूचित करने की तारीख एक समान रूप से वह तारीख होनी चाहिए जो फॉर्म एफएमआर-1 में रिज़र्व बैंक को भेजी गई धोखाधड़ी की विस्तृत रिपोर्ट में दी गई हो न कि किसी फैक्स अथवा अ.शा.पत्र की कोई ऐसी तारीख जो इस रिपोर्ट से पहले भेजा गया हो।

\* बैंकों को शाखा जिस लेखा परीक्षा के अधीन है जैसे कि समवर्ती लेखा परीक्षा, आंतरिक निरीक्षण आदि उसका स्पष्ट उल्लेख करना है।

## एफएमआर - 2

### धोखाधड़ी के लंबित मामलों पर तिमाही रिपोर्ट

(पैरा 4.1 के अनुसार)

बैंक का नाम : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ को समाप्त तिमाही के लिए रिपोर्ट

#### भाग - क : धोखाधड़ियों के लंबित मामले

देशी / विदेशी

(राशि लाख रुपयों में)

संवर्ग	पिछली तिमाही की समाप्ति पर बकाया मामलों की स्थिति		विद्यमान तिमाही के दौरान रिपोर्ट किए गए नए मामले		विद्यमान तिमाही के दौरान बंद किए गए मामले		तिमाही की समाप्ति पर बकाया मामले		वसूली गई कुल राशि	इस तिमाही के अंत में बकाया मामलों के लिए किया गया प्रावधान	विद्यमान तिमाही के दौरान वसूली गई राशि	विद्यमान तिमाही के दौरान बढ़े खाते डाली गई राशि
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं. (2+4+6)	राशि (3+5-7)	राशि	राशि	राशि	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
नकदी												
जमाराशियां -												
(i) बचत												
(ii) चालू												
(iii) मीयादी												
अनिवासी खाते												
अग्रिम -												
(i) नकदी ऋण												
(ii) मीयादी ऋण												
(iii) बिल												
(iv) अन्य												
विदेशी मुद्रा लेन-देन												
अंतर-शाखा खाते												

चेक / मांग ड्राफ्ट, आदि												
समाशोधन, आदि खाते												
तुलन-पत्र से इतर -  (i) साख-पत्र (ii) गारंटी (iii) सह-स्वीकृति (iv) अन्य												
कार्ड/इंटरनेट - (i) क्रेडिट कार्ड												
(ii) एटीएम / डेबिट कार्ड												
(iii) इंटरनेट बैंकिंग												
अन्य												
कुल												

नोट : वे भारतीय बैंक जिनके विदेश में कार्यालय / शाखाएं हैं, उनके उपर्युक्त आंकड़े देशी स्थिति से संबंधित रहेंगे। उनकी विदेशी शाखाओं / कार्यालयों से संबंधित आंकड़े उपर्युक्त फार्मेट में ही एक अलग शीट पर दर्शाए जाएं।



**भाग-ख : -तिमाही के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों का श्रेणी-वार वर्गीकरण**

**बैंक का नाम : -----**

श्रेणी	दुर्विनियोजन तथा आपराधिक विश्वासघात		धोखे से नकदीकरण/ लेखा-बाहियों में हेराफेरी तथा संपत्ति का परिवर्तन		गैर-कानूनी परितुष्टि के लिए अनधिकृत ऋण सुविधा देना		लापरवाही तथा नकदी कम हो जाना		धोखेबाज़ी तथा जालसाज़ी		विदेशी मुद्रा लेनदेनों में अनियमित ताएं		अन्य		कुल	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
0.1 मिलियन रुपए से कम																
0.1 मिलियन रुपए और उससे अधिक किन्तु 10 मिलियन रुपए से कम																
10 मिलियन रुपए और उससे अधिक																
कुल																

भाग -ग : - तिमाही के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों का अपराधी-वार वर्गीकरण

बैंक का नाम :-----

श्रेणी	स्टाफ		ग्राहक		बाहरी व्यक्ति		स्टाफ तथा ग्राहक		स्टाफ तथा बाहरी व्यक्ति		ग्राहक तथा बाहरी व्यक्ति		स्टाफ, ग्राहक तथा बाहरी व्यक्ति		कुल	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
0.1 मिलियन रुपए से कम																
0.1 मिलियन रुपए और उससे अधिक किन्तु 10 मिलियन रुपए से कम																
10 मिलियन रुपए और उससे अधिक																
कुल																

नोट : 1. उपर्युक्त श्रेणी-वार वर्गीकरण मुख्यतः भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों पर आधारित है।

2. सभी राशियां मिलियन रुपयों में दो दशमलव अंकों तक दर्शाई जाएं।

## प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पिछली तिमाही के दौरान रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट की गई एक लाख रुपए और उससे अधिक की सभी धोखाधड़ियां बैंक के बोर्ड को भी रिपोर्ट की गई हैं तथा उपर्युक्त भाग क (कॉलम 4 तथा 5) एवं भाग ख तथा ग में शामिल की गई हैं।

हस्ताक्षर:

नाम तथा पदनाम:

स्थान:

दिनांक:

## एफएमआर 3

### धोखाधड़ी पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट

(पैराग्राफ 4.2 के अनुसार)

बैंक का नाम: -----

\_\_\_\_\_ को समाप्त तिमाही के लिए विवरण

#### भाग-क: संक्षिप्त सूचना

	संख्या	धोखाधड़ी की राशि (मिलियन रुपयों में)
1. बकाया मामले		
2. मामले, जिनमें कोई प्रगति नहीं हुई है (नीचे भाग-ख में दिए हुए फार्मेट के अनुसार मामले-वार ब्यौरे प्रस्तुत करें )		
3. मामले जिनमें प्रगति हुई है (नीचे भाग-ग में दिए हुए फार्मेट के अनुसार मामले-वार ब्यौरे प्रस्तुत करें)		

#### भाग-ख: जिन मामलों में कोई प्रगति नहीं हुई है उनके ब्यौरे

सं.	शाखा का नाम	धोखाधड़ी सं.	पार्टी/खाते का नाम	राशि (मिलियन रुपयों में)

भाग-ग: मामले-वार हुई प्रगति के ब्यौरे

पार्टी/खाते का नाम : .

शाखा/कार्यालय का नाम : .

धोखाधड़ी की राशि : .

(मिलियन रुपयों में)

धोखाधड़ी सं. : .

1. प्रथम बार सूचना देने की तारीख

2. (क) ऋण वसूली प्राधिकरण/न्यायालय में वसूली वाद  
दायर करने की तारीख

(ख) वर्तमान स्थिति

3. पिछली तिमाही के अंत तक की गई वसूलियां  
(मिलियन रुपयों में)

4. तिमाही के दौरान की गयी वसूलियां  
(मिलियन रुपयों में)

(क) संबंधित पार्टी/पार्टियों से

(ख) बीमा से

(ग) अन्य स्रोतों से

5. कुल वसूली (3+4) (मिलियन रुपयों में)

6. बैंक को हुई हानि (मिलियन रुपयों में)

7. किए गए प्रावधान (मिलियन रुपयों में)

8. बट्टे-खाते डाली गई राशि (मिलियन रुपयों में)

9. (क) पुलिस/सीबीआई को मामला रिपोर्ट किए जाने की तारीख

(ख) पुलिस/सीबीआई जांच पूरी होने की तारीख

(ग) पुलिस/सीबीआई द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तारीख

10. स्टाफ पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे

सं.	नाम	पदनाम	क्या निलंबन किया गया/ निलंबन की तारीख	आरोप-पत्र जारी करने की तारीख	आंतरिक जांच प्रारंभ होनेकी तारीख	जांच पूरी होने की तारीख	अंतिम आदेश जारी करने की तारीख	दिया गया दंड	अभियो-जन/सज़ा/ दोषमुक्ति आदि के ब्यौरे

11. अन्य घटनाक्रम

12. क्या तिमाही के दौरान मामला बंद किया गया

हां/नहीं

13. मामला बंद करने की तारीख

## एफएमआर 4

### डकैती /लूटमार/चोरी/सैंधमारी पर रिपोर्ट (पैराग्राफ 7 के अनुसार)

बैंक का नाम:-----

को समाप्त तिमाही के लिए रिपोर्ट

शाखा का नाम	पता	जिला	राज्य	शाखा का प्रकार <sup>10</sup>	जोखिम वर्गीकरण <sup>11</sup>	क्या शाखा में मुद्रा तिजोरी है ?	मामले का प्रकार <sup>12</sup>	घटना की तारीख तथा समय	घटना में शामिल राशि (लाख रुपयों में)	बसूली गई राशि (लाख रुपयों में)	निपटारा गया बीमा-दावा (लाख रुपयों में)	गिरफ्तारी	
												स्टाफ	लुटेरे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

मारे गए			घायल		अभियुक्त		अदा किया गया मुआवज़ा		की गई कार्रवाई	अपराध सं. तथा पुलिस स्टेशन का नाम, जहां अपराध दर्ज किया गया	कार्य प्रणाली
स्टाफ	लुटेरे	अन्य	स्टाफ	अन्य	स्टाफ	लुटेरे	स्टाफ	अन्य			
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

10 ग्रामीण/अर्ध-शहरी/शहरी/महानगरीय

11 उच्च/सामान्य/निम्न

12 डकैती/लूटमार/चोरी/सैंधमारी